खण्ड-402, अंक-5
मंगलवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1913
(6 अगस्त, 1991 ई0)

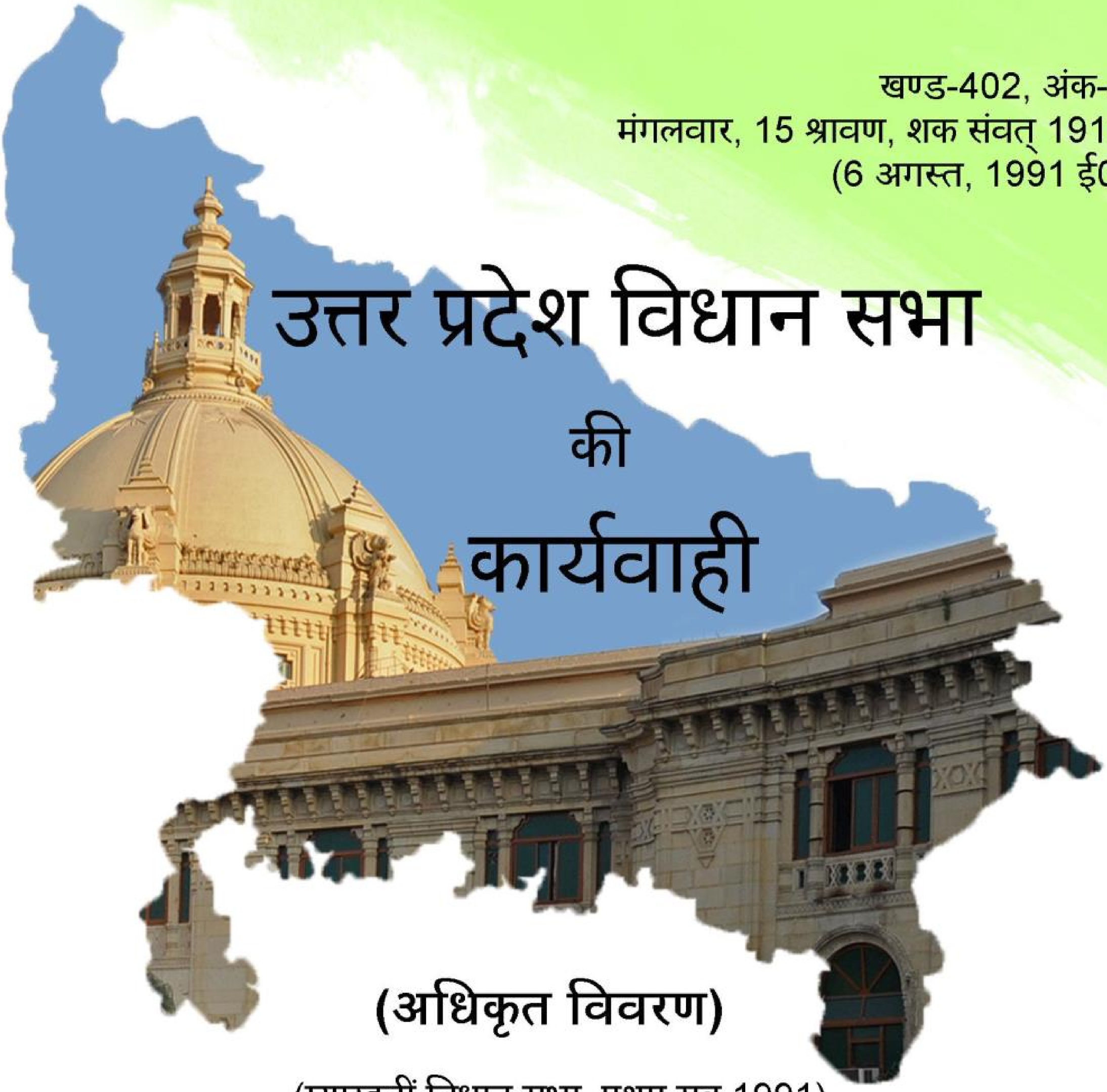

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय उपस्थित सदस्य

नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नोत्तर	1—19
नियम 311 की सूचनाएं (जारी)	20
सरकार की वर्तमान स्थानान्तरण नीति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	20—22
श्री रामपाल, सदस्य विधान सभा (हरदोई) के भाई की जिला कारागार हरदोई में हुई मृत्यु के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	22—39
नियम 311 की सूचनाएं	39
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	39—40
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में धार्मिक स्थलों, स्कूलों के निकट मधुशालायें खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों में जले एवं खराब ट्रान्सफार्मरों को विद्युत विभाग द्वारा न बदले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40—41
जनपद गाजीपुर में सिंचाई विभाग के देवकली पम्प नहर द्वारा पूर्ण क्षमता भर पानी न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद फैजाबाद के टाण्डा कस्बे में ट्रान्सफार्मर लगाने तथा विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद हरदोई के मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्डों के समस्त ग्रामों में पेयजल की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर में कई गांवों में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42

प्रतिश्रुति सभा

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम के तीनों कारखाने डाला, चुर्क, चुनार के कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 42—43

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं 43

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा 1986—87 (पटल पर रखा गया) 43

उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) नियमावली, 1991 (पटल पर रखी गयी) 43—44

उत्तर प्रदेश अल्पकालिक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1985—86 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 1986—87 (पटल पर रखा गया) 44

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का एकादश प्रतिवेदन एवं लेखे 1984—85 तथा द्वादश प्रतिवेदन एवं लेखे, 1985—86 (पटल पर रखा गया) 44

भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 1989 एवं वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे 1987—88 (पटल पर रखा गया) 44

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 45—46

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 (पुनः स्थापित किया गया) 47

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 (पुनःस्थापित किया गया) 47

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) 47—48

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) 48

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 48—51

पूर्व प्रधानमंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह की विधान भवन के परिसर में लगी प्रतिमा की सुरक्षा की मांग 51—53

उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित)	53	66
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	67	75
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं		75
नियम 52 के अन्तर्गत गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में नीति बनाये जाने की मांग	75	76
प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का स्थगन		76
नत्थी	77	78

अदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर, श्री	मुरादाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर सिंह, श्री	बिजनौर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अर्जुन, श्री	सुल्तानपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण चन्द्र, श्री	पिथौरागढ़
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
चन्द्रभान मौर्य पुत्र बहोरी लाल, श्री	आगरा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पदमा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
फागू, श्री	मऊ
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बृजेश कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मस्तराम, श्री	उन्नाव
महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	अलीगढ़
मोहम्मद रिजवानुलहक, श्री	मुरादाबाद
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रविकान्त गर्ग ,श्री	मथुरा
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
रामऔतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कुमार,श्री	खीरी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
रामपाल, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विजेन्द्र कुमार, श्री	गाजियाबाद
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव बहादुर, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरनारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरिनरायन, श्री	बलिया
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधानसभा

मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग

(जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

***श्री हृदय नारायण दीक्षित–**

मान्यवर, पुलिस की गोली से लोगों की हत्या कर दी जाय और वह निर्दोष हों, केवल ज्ञापन देने जा रहे हों, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती । आपको अधिकार है, आप नियम 300 में इसे सुन सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बातों को शून्य प्रहर में उठायें । प्रश्नकाल में व्यवधान पड़ने से कई माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है । आप इन मुद्दों को शून्यकाल में उठायें, तब इस पर उचित व्यवस्था दे दी जायेगी ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, पुलिस की गोलियों से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कृपया इसे शून्य प्रहर में उठाइयेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे दल के विधायक के भाई की इस सरकार के निर्देश पर जेल में हत्या करवा दी गयी है ।

अध्यक्ष–

पहले आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और जो भी बात रखना चाहते हों उसकी सूचना लिखकर दे दें, क्रमानुसार सबको ले लिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । जो बुलन्दशहर में घटना हुई है, वह बहुत गम्भीर है और जिस बात का जिक्र माननीय नरेश अग्रवाल कर रहे हैं, वह भी कम गम्भीर नहीं है । बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी उन्नाव जिले में हरिजन उत्पीड़न के सिलसिले में सूचना दी गई है, वह भी बहुत गम्भीर है । आप अगर आश्वासन दे दें कि इस शून्य प्रहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में सुन लेंगे, तो सदन की कार्यवाही चल सकती है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो कार्य सूची प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार कार्य करेंगे तो विधिवत होगा, नियमित होगा और मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दूंगा । प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है । शासन का जो उत्तरदायित्व है, उसमें बहुत सी बातें अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय सदस्य ज्ञात कर सकते हैं । प्रश्नकाल में कटौती हो, ऐसा अवसर आप न आने दें । इसके बाद शून्य प्रहर आता है, इसमें नियम 311, 300 व नियम 63 में मुझे सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उस समय इनका निस्तारण होने लगेगा । उस समय आपको सुना जायेगा । प्रश्नकाल में माननीय सदस्य अपने प्रश्न को देखकर धारणा बनाकर आते हैं कि वह अनुपूरक प्रश्न में ये-ये बातें पूछेंगे । आप अपने अधिकारों का स्वयं हनन न करें । नियमानुसार कार्य को होने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले कार्य सूची के अनुसार प्रारम्भ कर लूं। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं, वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । अब मैं कार्यसूची के हिसाब से नत्थी (क) पर प्रश्न संख्या-1 को ले रहा हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न-1 पुकारे जाने पर सर्वश्री हृदय नारायण दीक्षित, बाबूराम यादव व उनके साथ कई अन्य समाजवादी जनता पार्टी के सदस्यों के साथ डायस के पास आकर खड़े होने तथा एक साथ अपनी बात कहने के कारण कोई भी चीज स्पष्ट सुनाई नहीं दी, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात में कोई औचित्य प्रकट नहीं हो रहा है । यदि सदन स्थगित हो जायेगा तो आप अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे । यदि आपने यह तय कर रखा है कि व्यवधान डालना हतो आप व्यवधान डालते रहें । जो सूचना आपने दी है, प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के बाद मैं उसकी ग्राह्यता पर सुनूंगा । शांति-व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितने कि दूसरे लोगों के प्रश्न हैं ।

(जनता पार्टी के सदस्यों के लगातार डायस के पास खड़े रहने व एक साथ अपनी बात कहने से सदन में अत्याधिक शोर होता रहा, जिससे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था ।)

***श्री राम गोविन्द चौधरी–**

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कोई घटना नहीं है । वहां तीन-तीन लोग मार दिये गये हैं और दर्जनों घायल हो गये हैं । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कौन प्रश्न होगा ?

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, आपको ज्ञात है कि प्रश्नकाल में इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाये जाते हैं । एक घण्टा बीस मिनट का समय प्रश्नों का है ।

(जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल प्रांगण में खड़े होकर नारा लगाते रहे कि 'लाठी-गोली की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' । 'उत्पीड़न की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।')

माननीय वर्मा जी, कृपया अपने सम्मानित सदस्यों को व्यवस्थित करें ।

***श्री किशन गोपाल–**

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य इस सदन का समय बरबाद कर रहे हैं । सदन का अमूल्य समय बरबाद किया जा रहा है । इनको देश से कोई प्यार नहीं है । मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चलायी जा सके ।

(सदन के वेल में ज० पा० के सदस्यों द्वारा नारा "फासिस्टों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।")

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आप इन लोगों को सुन क्यों रहे हैं ? कृपया सदन को व्यवस्थित कराइये ।

(सदन के वेल में खड़े-खड़े ज० पा० के सदस्य बराबर नारे लगाते रहे "फासिस्टों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।" और सदन की कार्यवाही निरन्तर घोर व्यवधान के मध्य चलती रही ।)

श्री अध्यक्ष–

हमारे सामने आप जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि मैं विधिवत कार्य करता हूं । मैं आप सबकी भावनाओं से अवगत हो गया हूं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे पास आपने लिखकर सूचना भेज दी है, अब कार्यसूची के अनुसार हम उसको ले लेंगे । आपने इस समय दस मिनट का सदन का अमूल्य समय बरबाद कर दिया ।

श्री बलराम यादव–

नियम 311 हमारा अधिकार है । हम इसका प्रयोग फिर कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

311 नियम पर हम आपको सुन लेंगे । 311 नियम अति साधारण प्रश्न पर ध्यान दिलाने के लिए है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलराम यादव–

इससे महत्वपूर्ण घटना कोई हो ही नहीं सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

सब हो जायेगा । आप लोग पहले अपना आसन ग्रहण करें ।

(जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बराबर खड़े रहे जिससे व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप सारी प्रक्रिया को उलट देना चाहते हैं । मेरी प्रार्थना है आप अपना आसन ग्रहण करें । एक नियम है प्रक्रिया संचालन के लिए, उसी के आधार पर कार्य होता है ।

(श्री बलराम यादव तथा अन्य कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कहने लगे कि पहले आप हमारी बात को सुन लीजिए)

मैं सदन को स्थगित करके प्रश्नकाल को अनावश्यक रूप से घटाना नहीं चाहता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने-अपने आसन ग्रहण करें और तभी नियमानुसार ढंग से सदन की कार्यवाही चलेगी । अगर आप लोग नियमों के अन्तर्गत कार्य नहीं करेंगे तो सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से कैसे चल पायेगी ? आप मुझे सहयोग दें । मैं आप सबका सम्मान करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें । मैं प्रत्येक सदस्य को समय दूंगा । मेरा प्रयास रहा है कि प्रत्येक सदस्य को अधिकतम बोलने का अवसर दिया जाय ।

(व्यवधान)

इन सबका एक समय है । आपकी बात सुनी जायेगी, लेकिन समय पर । आप कार्यसूची का अध्ययन कर लें ।

(व्यवधान)

(हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 1 लेता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा और न हम कुछ कह पायेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 33 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है, 11 बजकर 48 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए पुनः बढ़ा दिया है, 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन पुनः 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर*

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

****1-श्री राम आसरे वर्मा–**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.3.91 में की गई अनियमितता के संबंध में श्री आनन्द भूषण गौड़, प्रवर वर्ग सहायक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1991 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से मूलभूत तथ्यात्मक आधारों की जानकारी दी गयी है ? क्या उक्त मूलभूत तथ्यात्मक आधार सही है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने में उक्त मूलभूत तथ्यात्मक आधारों को ध्यान में रखा गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या उक्त मूलभूत तथ्यात्मक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची संशोधित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

दिनांक 26 मार्च, 1991 को जारी की गयी प्रवर वर्ग सहायकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने अवर वर्ग सहायक के पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति, सचिवालय में अस्थाई प्रवर वर्ग सहायक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया तथा उ०प्र० सचिवालय लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 के संबंध में जारी अधिसूचना

---

* उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत आज की कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

दिनांक 11. 7. 79 एवं कुछ न्यायालय आदेशों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी दी है ।

ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप से प्रख्यापित करने के पूर्व समस्त आधारों एवं आपत्तियों पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है एवं नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

आग्नेय शस्त्रों के लाइसेन्स जारी किये जाने की मांग

श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री अफजाल अंसारी–

**2-क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं एवं आतंकवादियों की गतिविधियों को देखकर शासन, आग्नेय शस्त्रों के लाइसेन्स जारी करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनहित में ।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

***1-श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुर्सी रोड योजना के तहत ग्राम पहाड़पुर में भूमि का अधिग्रहण शुल्क लेने में अनियमितताएं

***2-श्री राम ललित–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1981 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुर्सी रोड योजना के तहत ग्राम पहाड़पुर में एक ही किस्म की भूमि का अधिग्रहण 14 पैसे वर्ग फुट एवं 28 पैसे वर्ग फुट की दर से किया गया था जबकि उसी वर्ष पहाड़पुर से सटे ग्राम सिकन्दरपुर में इसी किस्म की भूमि का मूल्य एक रुपये 22 पैसे की दर से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार एक रुपये 22 पैसे की दर से पहाड़पुर की भूमि का भी मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कुर्सी रोड पर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की ग्राम पहाड़पुर की भूमि का मुआवजा विभागीय अधिशासी अभियन्ता ने सिकन्दरपुर की भूमि के मुआवजे के अनुसार एक रुपये 22 पैसे करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट–उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत आज की कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुर्सी रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर की अर्जित भूमि में से समतल भूमि का प्रतिकर 28 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से तथा ऊंची नीची भूमि का प्रतिकर 14 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारित किया गया था जबकि ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में अर्जित की गयी भूमि का प्रतिकर 1.22 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित किया गया । दरों में भिन्नता का कारण दोनों ग्रामों की भूमि की प्रकृति, एरिया रेट तथा बैनामों की दरों में अंतर था ।

जी नहीं, क्योंकि इन दोनों ग्रामों के बैनामों की दरों में अंतर है, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अभिनिर्णयों में किया जा चुका है ।

अधिशासी अभियंता द्वारा प्रतिकर का निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु प्रतिकर का निर्धारण कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किया जाता है, जो पहले ही किया जा चुका है । अतः किसी अधिशासी अभियंता की सिफारिश के संदर्भ में अब कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कस्बा सतरिख जिला बाराबंकी से अराजक तत्त्वों द्वारा भगाये गये तीन परिवारों को पुनः बसाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

***3-श्री बेनी प्रसाद वर्मा–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 30 जून, 1991 को कस्बा सतरिख, जिला बाराबंकी में तीन परिवारों को कुछ अराजक तत्त्वों ने मार पीट कर भगा दिया तथा उनके घर का सामान लूट लिया व छप्परों को उजाड़ दिया ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों को पुनर्वासित करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 30 जून, 1991 को नहीं वरन् 29 जून, 91 को कस्बा सतरिख में सतरिख-शरीफाबाद रोड पर सड़क के पूर्व किनारे पर मिट्टी की दीवार एवं छप्पर बनाकर रह रहे इदरीश, इरशाद, मसऊ व अली हुसैन को बेदखल करने की नीयत से मो० सईद ने अपने 7 साथियों के साथ छप्पर व दीवार की तोड़-फोड़ की । अभी तक की विवेचना से सामान लूटने की बांत प्रकाश में नहीं आई ।

सभी प्रभावित व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर काबिज हैं । अतः पुर्नस्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इदरीश की लिखित सूचना पर प्रश्नगत मामले में थाना सतरिख में सईद आदि 8 व्यक्तियों के विरुद्ध मु० अप० सं० 61/91 अंतर्गत धारा 143/564/506/427 भा० दं० वि० दर्ज किया गया । अभियुक्त सईद एवं अब्दुल खालिक को दिनांक 01-07-91 को तथा अभियुक्त वसीम को दिनांक 06-07-91 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष 5 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं० प्र० सं० के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट न्यायालय भेज दी गयी है ।

***4-श्री नरेश अग्रवाल—**

[2रे सोम० के ता० प्र० सं० 15 के अंतर्गत स्थानान्तरित प्रश्न]

प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उनसे निपटने हेतु सरकार की प्रस्तावित नीति की जानकारी

***5-श्री भारत सिंह रावत—**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1990 से जून, 1991 तक आतंकवादियों द्वारा देहरादून से लेकर पीलीभीत जनपद तक कितनी बैंक डकैतियों, बम विस्फोटों व मुठभेड़ों में लोग मारे गये हैं ? सरकार ने आतंकवादियों से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार आतंकवादियों के आतंक से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए शिवालिक आपरेशन की तरह कोई आपरेशन चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

अप्रैल, 1990 से जून, 1991 तक आतंकवादियों द्वारा देहरादून से लेकर पीलीभीत जनपद तक दो बैंक डकैतियों एवं तीन मुठभेड़ों में कुल नौ लोग मारे गये । उक्त अवधि में प्रसंगत जनपदों में बम-विस्फोट की किसी भी घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई है ।

आतंकवादियों से निपटने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें पुलिस एवं अभिसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण, संदिग्ध क्षेत्रों की काम्बिंग, नियमित पेट्रोलिंग, सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की निगरानी, सार्वजनिक स्थलों पर सतर्क दृष्टि का रखा जाना, आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी सतर्कता, जन सहयोग का लिया जाना एवं विभिन्न माध्यमों से जनता को सतर्क किया जाना सम्मिलित है ।

प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिये शासन द्वारा एक वृहद् योजना बनाने का विचार किया जा रहा है ।

विगत अक्टूबर व नवम्बर, 1990 में अयोध्या में घटित घटना में मारे गये व्यक्तियों का पूर्ण विवरण पटल पर रखने की मांग

***6-श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री राम लखन वर्मा—**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में 30 अक्टूबर, 1990 व 2 नवम्बर, 1990 को पुलिस फायरिंग से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जो विवादित ढांचे को क्षति पहुंचा रहे थे ? यदि हां, तो उक्त दिन व प्रकरण तथा स्थल पर पुलिस फायरिंग से कितने लोग मारे गये ? क्या इसका पूर्ण विवरण नाम, पते सहित सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाबरी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

***7-श्री राम आसरे वर्मा–**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने के सिलसिले में शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रुदौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराबंकी में अग्निकांड से हुई क्षति एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री रामदेव आचार्य–

*8-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत रुदौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में माह अप्रैल/मई, 1991 में भयंकर आग लगी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने मूल्य का कौन-कौन सा सामान जला ? पुलिस विवेचना में उक्त अग्निकांड के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

क्षतिग्रस्त सामान का मूल्यानुसार विवरण निम्नवत् है :–

सामान	क्षति का अनुमानित मूल्य
1-मेटाडोर गाड़ी	1,55,000
2-लेप्रोस्कोप (महिला नसबन्दी मशीन)	1,75,000
3-दो अदद फ्रिज (विदेशी)	40,000
4-जनरेटर	15,000
5-स्वास्थ्य केन्द्र का फर्नीचर, चारपाई, बिस्तर, कम्बल, दवाईयां आदि	45,000
6-अस्पताल भवन के दरवाजे, वायरिंग, बल्ब, राड, पंखे आदि	35,000
7-दो डाक्टरों का निजी घरेलू सामान जैसे बर्तन, कपड़ा, बिस्तर, बक्से, टार्च आदि	30,000
योग	4,95,000

इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया । अतः साक्ष्याभाव में मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 20-07-91 को प्रेषित कर दी गई ।

ग्यारहवीं विधान सभा के गठन के पूर्व एवं 10वीं विधान सभा के बाद के मंत्रि-परिषद् द्वारा किये गये व्यय का विवरण

श्री सुरेन्द्र सिंह–

*9-क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 10वीं विधान सभा के भंग होने एवं नयी विधान सभा के गठन के मध्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा कितने रुपयों का, परिवहन ईंधन तथा जेब खर्च इत्यादि में व्यय किया गया है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत यह व्यय अवैधानिक रहा है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दसवीं विधान सभा के भंग होने एवं नई विधान सभा के गठन के मध्य, प्राप्त सूचना के आधार पर, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों पर परिवहन ईंधन तथा जेब खर्च पर निम्नानुसार रुपया व्यय हुआ :–

(1) वायुयान/हेलीकाप्टर	3,90,528.10
(2) पेट्रोल	5,88,076.59
(3) टैक्सी	1,44,078.30
(4) जेब खर्च	4,12,852.80

यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत अवधि से संबंधित कतिपय माननीय सदस्यों के यात्रा बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, कतिपय माननीय सदस्यों के प्रकरण उच्चादेश हेतु प्रस्तुत हैं और कतिपय माननीय सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु लम्बित हैं । जिन माननीय सदस्यों के प्रश्नगत अवधि के यात्रा भत्ता बिल पारित हुए हैं उनमें यात्रा उद्देश्य शासकीय कार्य हेतु जनहित में अंकित है । अतः संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

डाला सीमेन्ट फैक्टरी के कर्मचारियों पर हुये गोली काण्ड की जांच की मांग

***10-श्री भागवत तथा श्री विजय सिंह राणा–**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 जून, 1991 को डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिये जाने के अवसर पर उनके ऊपर किसके आदेश से गोली चलायी थी और क्यों ? फैक्ट्री के उक्त मजदूरों पर क्या आरोप थे ? फैक्ट्री

के कितने कर्मचारी गोली काण्ड में मारे गये, कितने घायल हुये और कितने अभी तक लापता हैं ? क्या यह सही है कि पुलिस के अनुसार 5 लोग मारे गये जबकि ट्रकों में भरकर लगभग तीन दर्जन लाशें गायब की गयीं ? यदि हां, तो वह लाशें किन व्यक्तियों की थीं ? क्या यह सही है कि जिस ओर पुलिस थी, उसी तरफ बचाव में पुलिस द्वारा अपराह्न 5 बजे वाहनों तथा दुकानों में आगजनी की गयी ? यदि हाँ, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गोलीकाण्ड के दौरान तुरन्त बाद कर्फ्यू लगाया गया था ? यदि हाँ, तो किसके आदेश से और उसका क्या औचित्य था ? क्या पुलिस की गाड़ियों से शाम 6 बजे कर्फ्यू की घोषणा की गयी थी ? क्या इस सम्पूर्ण मामले की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

प्राप्त सूचनानुसार डाला सीमेन्ट फैक्ट्री को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के विरोध में फैक्ट्री के आन्दोलनरत श्रमिकों द्वारा 2 जून, 1991 को राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसे हटाने के लिये अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाने-बुलाने का प्रयास किया गया जिसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि श्रमिकों की भीड़ हिंसा पर उतारू होकर वाहनों तथा दुकानों में आगजनी करते हुए पुलिस बल पर पथराव तथा निजी शस्त्रों से प्रहार करने लगी । हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने एवं धन जन की हो रही क्षति को रोकने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया गया, जिसका उनके ऊपर कोई असर न होने पर लाठी चार्ज किया गया, फिर भी हिंसा पर उतारू भीड़ द्वारा भारी पथराव आदि की कार्यवाही जारी रही जिससे विवश होकर धन-जन के सुरक्षार्थ एवं आत्म-रक्षार्थ परगना मजिस्ट्रेट पिपरी के आदेश पर पुलिस बल द्वारा फायरिंग की गयी ।

उक्त गोलीकाण्ड में फैक्ट्री के 8 श्रमिक एवं एक श्रमिक के पुत्र की मृत्यु हुई तथा 8 लोगों के घायल होने की बात प्रकाश में आयी है । ट्रकों में भरकर लगभग तीन दर्जन लाशें गायब करने का आरोप सही नहीं है । यह भी सही नहीं है कि अपने बचाव में पुलिस द्वारा वाहनों तथा दुकानों में आगजनी की गयी । प्रश्नगत घटना के बाद कर्फ्यू नहीं लगाया गया और न ही कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गयी । सम्पूर्ण घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच की जा रही है ।

प्रदेश में न्याय पंचायतों का चुनाव कराने की मांग

श्री हरिवंश सहाय–

*11-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्याय पंचायतों का चुनाव कब कराया जायेगा ? क्या पंचों का मनोनयन जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

प्रदेश में न्याय पंचायतों के पुनर्गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

न्याय पंचायतों में पंचों की नियुक्ति पंचायत राज अधिनियम, 1947 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है और उसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा मनोनयन का कोई प्राविधान नहीं है ।

इलाहाबाद के कस्बा सराय अकिल में हुए दंगे में हुई हानि का विवरण

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

*12-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत माह मई, 1991 में इलाहाबाद जनपद के सराय अकिल कस्बे में हुये दंगे में मारे गये लोगों तथा लूटी एवं जलायी गयी दुकानों का समुचित मुआवजा भुक्त भोगियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? उक्त दंगे में कुल कितने लोग मारे गये ? कितनी दुकानें लूटी गयीं तथा कितने घायल हुये ? क्या सरकार शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्नोल्लिखित दंगा पीड़ितों को राहत के रूप में रुपया 4,51,500 की आर्थिक सहायता वितरित की गयी है । (सूची संलग्न) । उक्त दंगे में 4 व्यक्ति मारे गये, 15 घायल हुये तथा 25 व्यक्तियों की दुकानें लूटी गयीं । उक्त घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रीयल जांच प्रचलित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 77 पर)

तारांकित प्रश्न

बस टर्मिनल एथारिटी द्वारा जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ में बस स्टेशन भवन बनवाने की मांग

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

1-क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों व अन्य बस सेवाओं में यात्रियों की सुविधा हेतु नये बस अड्डे (बस टर्मिनल) का निर्माण कराने हेतु किसी प्राधिकरण का गठन किया गया है ? क्या उक्त बस टर्मिनल अथारिटी द्वारा अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगर में बस स्टेशन भवन निर्मित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ?

आबकारी, परिवहन एवं धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

गठन विचाराधीन है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम जमुनहा कस्बा बभनान जिला गोंडा में श्री ज्ञानदास यादव के मकान की नींव में तीन हरिजनों के गिरने की घटना

श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री ओमप्रकाश तथा
श्री घटाशंकर सिंह–

2-क्या सरकार को जानकारी है कि माह नवम्बर, 1990 में ग्राम जमुनहा कस्बा बभनान जनपद गोण्डा में श्री ज्ञानदास यादव की मकान की बाउण्ड्री (जो सड़क में बनायी जा रही थी) की खुदी नींव में गिरकर तीन हरिजनों की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो इस में श्री ज्ञानदास के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या हरिजन मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा सहायता दी गयी ? क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को दबा दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 11 90 को ग्राम जमुनहा कस्बा बभनान में श्री ज्ञानदास यादव के मकान के नींव की मिट्टी नींव के ऊपर रखी जा रही थी कि अचानक उस ढेर ढह जाने से नींव के गड्ढे में 4 व्यक्तियों सर्वश्री गंगाराम हरिजन, गोगे कुर्मी, कलेसी प्रसाद केवट तथा बाबूलाल केवट दब गये थे जिसमें से बाबूलाल केवट की मृत्यु हो गई ।

घटना आकस्मिक व संयोगवश हुई । अतः ज्ञानदास यादव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । जी नहीं ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद मुख्यमंत्री कोष से लाखों रुपये के व्यय की शिकायत

श्री राम ललित–

3-क्या सरकार को यह जानकारी है कि माह अप्रैल-जून, 1991 के बीच चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद मुख्यमंत्री कोष से लाखों रुपये खर्च किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

निर्दिष्ट अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम औतार पुत्र स्व० श्री रामभरोसे ग्राम घटौली (कबीरपुर) थाना खण्डासा (आमानीगंज) जनपद फैजाबाद द्वारा की गयी रिपोर्ट के बारे में कतिपय जानकारी

श्री रामस्वरूप वर्मा—

4-क्या गृहमंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम औतार पुत्र स्व० श्री रामभरोसे ग्राम-घटौली (कबीरपुर) थाना-खण्डासा (आमानीगंज) जनपद-फैजाबाद का दिनांक 21-5-91 को कुल्हाड़ी एवं लाठी से अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर हुये प्राणघातक हमले के संबंध में अभियोग संख्या-एन०सी०आर० 55/91 धारा 323 भा० दं० वि० की धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 427, भा० दं० वि० में परिवर्तित कर विवेचना हेतु रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-6-91 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद तथा पत्र सं०-2491/91 / गोपन-7/6-6-91, गृहसचिव, उ० प्र० शासन एवं रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 7-6-91 को पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर उक्त अपराध को वांछित धाराओं में परिवर्तित कर किस उच्च अधिकारी द्वारा विवेचना की गयी और अपराधियों तथा अपराध को कम करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी इनायतनगर/सदर द्वारा कराई गयी । प्रार्थी एवं विपक्षीगण पट्टीदार हैं जिनमें बांस की कोठी को लेकर विवाद हो गया था । दोनों पक्षों द्वारा की गई सूचनाओं एवं डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार मामला धारा 323 भा० दं० वि० की हद तक की पाया गया । यह आरोप निराधार है कि अपराध कम करके अंकित किया गया । जांच से कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस निरीक्षक मेरठ श्री परमेश्वर राय के लखनऊ में निर्माणाधीन भवन के संबंध में जांच की मांग

5-श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत भवन की वास्तविक लागत ज्ञात कर ली गयी है ? यदि हां, तो मामले की जांच कौन अधिकारी कर रहा है तथा उक्त जांच रिपोर्ट शासन को कब तक मिल जाने की संभावना है.? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि संबंधित पुलिस निरीक्षक को जांच की निष्पक्षता हेतु अब तक निलंबित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उसे तत्काल निलंबित करके जांच पूरी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम इरादतनगर (सीतापुर रोड) की नजूल भूमि की पैमाइश की मांग

6-श्री राम पाल वर्मा–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-170 के उत्तर के संदर्भ में आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि खसरा संख्या-181 से 185 तक की भूमि पर 90 प्रतिशत भवनों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां तो क्या भवनों को गिरवाकर भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचनाओं का प्रकाशन संभावित हो ? क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-2-1991 व 27-2-1991 के संदर्भ में शासन स्तर पर निर्णय होने तक के लिये अर्जन हेतु अधिसूचनाओं/कार्यवाही को स्थगित रखना चाहेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान मास्टर प्लान में प्रश्नगत खसरा भूमि पर कोई आवासीय अथवा अन्य सरकारी योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किस अधिनियम संख्या/अधिसूचना संख्या के अन्तर्गत आबादी भूमि के अर्जन का अधिकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत खसरा नं० 181 से 185 की अधिकांश भूमि पर अनाधिकृत निर्माण हुआ है ।

यद्यपि भूमि अर्जन का प्रस्ताव नहीं है किन्तु अनाधिकृत निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में खसरा नं० 181 से 185 की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोई आवासीय योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा मण्डल के आयुक्त श्री धर्मेन्द्र मिश्र को हटाये जाने की मांग

7-श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री को यह जानकारी है कि आगरा मण्डल आयुक्त श्री धर्मेन्द्र मिश्र के यहां जब वह गाजियाबाद में तैनात थे, छापा पड़ा जिसमें एक करोड़ से अधिक के नकद धनराशि का सावधि जमा व अन्य सामान प्राप्त हुआ ? क्या ऐसे अधिकारी को आगरा मण्डल से तुरन्त हटाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

केन्द्रीय एजेंसी सी० बी० आई० द्वारा श्री धर्मेन्द्र देव के विरुद्ध छापे मारे गये थे। सी० बी० आई० से प्राप्त सूचना के अनुसार छापे में पाई गई चल व अचल सम्पत्ति का आंकलन रु० 24,58,569 किया गया है ।

श्री धर्मेन्द्र देव का मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल से स्थानान्तरण हो चुका है तथा वे वहां से कार्यमुक्त हो गये हैं ।

जिला हरदोई के थाना कासिमपुर में तैनात थानाध्यक्ष के विरुद्ध बी० डी० सी० महिला सदस्य द्वारा शासन को भेजे गये शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

8-श्री श्रीराम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर में तैनात थानाध्यक्ष वी० पी० श्रीनिवास के विरुद्ध स्थानीय ब्लाक की बी० डी० सी० महिला सदस्य द्वारा कितने शिकायती पत्र गृह सचिव, उ० प्र० शासन को माह नवम्बर, 1990 से 30 जून, 1991 तक प्राप्त हुए और उक्त शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच किस-किस अधिकारी से कराई गई ? क्या जांच में उक्त थानाध्यक्ष दोषी पाये गये ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमती राम भोली बी० डी० सी० महिला सदस्या, ब्लाक बेहंदर, जनपद हरदोई के 4 प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त जिनमें एक ही जैसे आरोप थे, इनमें से दो प्रार्थना-पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी हरदोई को तथा शेष दो प्रार्थना-पत्रों में से एक आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं एक जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, हरदोई को भेजा गया

जांच से पाया गया कि (1) सरजू प्रसाद के पुत्रों व उनके सहयोगियों द्वारा दिनांक 26-11-90 को सर्वश्री रग्घा, नन्दा, सियाराम, मूलनारायण आदि निवासी ग्राम करामतखेड़ा जनपद हरदोई के साथ मार-पीट की गई । इस संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा अभियोग दर्ज नहीं किया गया । यद्यपि इस घटना की जानकारी उन्हें थी । (2) जांच से पाया गया गांव सूरनादेव से महिपाल नामक व्यक्ति के अपहरण के संबंध में श्री बदलू नि० थाना कासिमपुर पर मु० अ० सं०-144/90 धारा 364 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना श्री निवास द्वारा स्वयं की गयी । इस अभियोग में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया और अपहृत का कोई पता नहीं लगाया गया । उपरोक्त दोनों घटनाओं के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष के लापरवाही एवं कार्य में उदासीनता बरतने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा इनका स्थानान्तरण भी उक्त जनपद से अन्य जनपद में कर दिया गया है ।

आगरा में मा० उच्च न्यायालय की खंडपीठ खोले जाने के बारे में जानकारी

9-श्री किशन गोपाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)–

जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है । माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कुछ बिन्दुओं पर अभिमत प्राप्त करने हेतु अनुस्मारक भेजा गया है ।

आगरा महानगर में विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका की जमीनों पर जबरन कब्जा करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने की मांग

10-श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा महानगर में विकास प्राधिकरण व नगर महापालिका की जमीनों पर किये गये अवैध कब्जों व भूमि की अवैध खरीद फरोख्त कार्य में लिप्त लोगों को रा० सु० का० में बन्द करने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सम्प्रति इनके लिए अलग योजना नहीं है । यदि अभिकथित लोगों के मामले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्राविधानों में आच्छादित होंगे तो सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें निरुद्ध करने पर विचार किया जायेगा ।

वर्ष 1990 से जून, 1991 के मध्य हुये साम्प्रदायिक दंगों में जान-माल की हानि के विवरण की जानकारी

11-श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 90 तथा जून, 91 तक उ० प्र० में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये और उससे कितनी जानें गयीं ? क्या यह सत्य है कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक दंगे की जांच के लिए अलग-अलग जांच समिति बनायी थी ? यदि हां, तो उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौन लोग दंगों में दोषी पाये गये तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1990 से जून, 1991 तक 40 साम्प्रदायिक दंगे हुये और इन दंगों में

539 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इन दंगों की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग जांच समिति नहीं बनाई गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना अतरौली की पुलिस द्वारा ग्राम बिजौली में की गई फर्जी मुठभेड़ के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की शिकायत में की गई कार्यवाही

12-श्री राम पाल वर्मा–

क्या गृहमंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना अतरौली की पुलिस द्वारा दिनांक 31-1-91 को ग्राम बिजौली में एक फर्जी मुठभेड़ व हत्या की वारदात की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में अनेकों प्रार्थना-पत्र ग्रामवासियों के व मृतक के भाई द्वारा उच्च अधिकारियों को दिये गये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 31-1-91 को थाना अतरौली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिजौली में कन्हैया लाल दुबे के दरवाजे पर हो रही नौटंकी के महादेव डकैत नाजायज असलहों एवं 10-12 साथियों के साथ देख रहा है । इस पर थानाध्यक्ष अतरौली मय फोर्स के पहुंचे और डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा । बदमाशों ने फायर करना शुरु कर दिया जिस पर पुलिस ने भी आत्म सुरक्षार्थ फायर किये । कुछ बदमाश भाग गए कुछ को गिरफ्तार किया गया और मौके पर एक बदमाश श्रीकृष्ण मारा गया । इस हादसे की मजिस्ट्रीरियल जांच स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा की गई जिसमें पुलिस मुठभेड़ की घटना को सही पाया गया । इस संबंध में मुकदमा अपराध सं० 12 से 18/91 धारा-147/148/149/307 भा० दं० वि० व 25/27 एक्ट पंजीकृत हुआ । दो अभियुक्तों को बाद में गिरफ्तार किया गया । अतः सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये । प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई । अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बेनीगंज के मतदान केन्द्र ढिकुन्नी के पीठासीन अधिकारी को मारने पीटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

13-श्री राम पाल वर्मा–

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-6-91 को जनपद हरदोई के 83 बेनीगंज विधान सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र ढिकुन्नी पर पीठासीन अधिकारी को कुछ असामाजिक तत्वों ने बूथ कैप्चरिंग करने की नीयत से मारा-पीटा था ? क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली हरदोई में दर्ज है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद हरदोई के मतदान केन्द्र डिकुन्नी पर पीठासीन अधिकारी के साथ घटित घटना की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली नगर हरदोई में दिनांक 16–6–91 को धारा 332/504/506 भा० द० वि० के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होकर घटना स्थल से संबंधित थाना अतरौली को समस्त कागजात भेजे गये। जिसके आधार पर मु० अ० सं० 89/91 धारा उक्त भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना थाना अतरौली द्वारा की जा रही है। इस अभियोग में श्री अवध कुमार सिंह बागी, सदस्य विधान परिषद्, श्री सुधाकर पाण्डेय एवं एक सिपाही को नामजद किया गया है। अब तक हुई विवेचना से अभियुक्तों द्वारा बूथ कैप्चरिंग करने की नियत से घटना घटित करने के तथ्य प्रकाश में नहीं आये। अभियुक्तों के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है।

जनपद हरदोई में थाना अतरौली में ग्राम शिवपुरी निवासी छेदू तथा शेरू को मिले राइफल लाइसेन्स संख्या क्रमशः 34 व 54 गलत पते पर होने की शिकायत

14–श्री राम पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद हरदोई के अंतर्गत अतरौली थाना के ग्राम शिवपुरी निवासी छेदू के पास राइफल लाइसेन्स संख्या 54 तथा शेरू के पास बन्दूक लाइसेन्स संख्या-34 जो कि गलत पता देकर प्राप्त किया गया है और वे थाना कोतवाली जनपद-सीतापुर से लाइसेन्सी हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों व्यक्ति अपराधी हैं व इनके लाइसेन्स जिला प्रशासन हरदोई व सीतापुर से निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इनके शस्त्र जब्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु इनके शस्त्र शीघ्र जब्त कराने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई के मूल निवासी श्री छेदू पुत्र श्री देवशंकर जो कि अपना पैतृक निवास छोड़कर काफी दिनों से जनपद सीतापुर में डेरी का काम कर रहे हैं। इनको जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर से राइफल का लाइसेन्स संख्या-54 वर्ष 1980 में जारी किया गया है। लाइसेन्स संख्या-34 जनपद सीतापुर के श्री शेरू के नाम से जारी नहीं किया गया है। श्री छेदू को वर्ष 1961 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी जो वर्ष 1970 में पूरी हो गई। तत्पश्चात् इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। अतः इनका लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है।

15–16–श्री किशन गोपाल–

(2रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36–37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

(तत्पश्चात् 12 बजकर 30 मिनट पर पुनः सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नियम 311 की सूचनाएं

***श्री बाबूराम यादव–**

माननीय अध्यक्ष जी, सारे देश में हत्यायें, अत्याचार और उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। अगर हम कुछ कहते हैं तो सत्ता पक्ष वाले बैठा देना चाहते हैं। हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह किन नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कह रहे हैं ? पहले सदन की कार्यवाही चले। उसी के अनुरूप काम होना चाहिये। एक निश्चित धारणा बना ली जाय कि सदन किस तरह से चलेगा फिर जैसा भी हो नियम-311 या अन्य उसी तरह से सब अपनी-अपनी बात सदन में उठायें। मान्यवर, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम आसरे वर्मा जी की बात से मैं सहमत हूं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(एक सदस्य के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलने दें। कोई भी सम्मानित सदस्य यदि अपनी बात कहना चाहता है तो अध्यक्ष पीठ पर जो भी रहे उसकी अनुमति लेकर ही अपनी बात कह सकता है। नियम-311 की सूचनाओं के अन्तर्गत मुझे पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन सूचनाओं में पहले श्री प्रमोद कुमार जी की है श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री बलराम यादव जी की और फिर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की है। इस तरह से ग्राह्यता के आधार पर श्री प्रमोद कुमार जी की सूचना नियम-311 के अन्तर्गत पुलिस विभाग में "स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में" है।

सरकार की वर्तमान स्थानान्तरण नीति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

***श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–**

मान्यवर, मैंने जो अपनी सूचना दी है उसमें दो बिन्दु अंकित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय है। मान्यवर, इस सरकार ने जो स्थानान्तरण की नीति बनाई है वह स्थानान्तरण की नीति न होकर एक उद्योग स्थापित कर लिया है इस स्थानान्तरण की नीति में सरकार केवल एक चीज देख रही है कि वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों को कैसे पूरा करे ? स्थानान्तरण के जरिये यह ऐसे स्थानों पर तैनात कर रहे हैं जहां वे जाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ईमानदार अधिकारियों को इधर से उधर स्थानान्तरण कर रहे हैं जिससे यह अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर सकें। मान्यवर, इस तरह से बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है। लोगों में भी रोष है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस संदर्भ में पीलीभीत में और मुजफ्फरनगर में पुलिस में विद्रोह हो गया है। नारेबाजी हुई है। मान्यवर, शांति व्यवस्था की सुरक्षा करने वाले लोग उत्तेजित हो जायें और कानून तोड़ने लगें, यह सरकार की अनैतिकता को दर्शाता है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इससे गम्भीर प्रकरण और कोई नहीं हो सकता है। जिस पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की हो, वह सरकार की नीतियों के कारण बगावत करने लगे, वह सरकार की नीतियों की बगावत करने पर उतारू हो जाय, इसका मतलब सरकार में कोई कमी आ गई है। पीलीभीत और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर आकर अपना रोष प्रकट किया और नारेबाजी की इससे गम्भीर विषय और नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा लोकमहत्व का प्रश्न और नहीं हो सकता है। जिनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से अशान्ति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस अति लोकमहत्व के विषय पर सभी नियमों को शिथिल करके चर्चा कराई जाये। और सरकार को आगाह किया जाए कि स्थानान्तरण को उद्योग न बनाए, जनहित के लिए स्थानान्तरण किये जाते हैं। जिसमें जनहित न हो इसलिये स्थानान्तरण नहीं किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, इस माननीय सदन में मैं शासन की नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं हमने जब से शासन संभाला तब प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त में मिली अराजकता, साम्प्रदायिक दंगों की श्रृंखला, राजनीति का अपराधीकरण, भय की छाया इत्यादि-इत्यादि सरकार की कार्यवाही में सबसे प्रथम प्राथमिकता थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना। हर नागरिक के जान-माल की सुरक्षा की जाए इसमें न जाति का भेद है, न वर्ग का भेद है, न साम्प्रदायिक भेद है, न लिंग का भेद है, हर नागरिक के जान-माल की सुरक्षा की जाए, ऐसी इस सरकार की नीति है। और इसी को देखते हुये एक सिद्धान्त बनाया गया, उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान।

(मेज़ें थपथपाई गयीं)

अनेक अधिकारी आदि ऐसे लाइन हाजिर कर दिये गये थे जो अच्छे थे। हम लोगों की चरित्र पंजिका देखकर, इधर-उधर से पूछताछ करके, जहां तक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का प्रश्न है, नीतिगत प्रश्न है। प्रशासनिक दृष्टि से शासन को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिये, शांति व्यवस्था कायम करने के लिये व्यापक जनहित में स्थानान्तरण किये हैं। बदले की भावना से कोई काम नहीं किया गया है कहीं कोई अपवाद भी हो सकता है। दो चार मामले आपके संज्ञान में ऐसे आये हों तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा। इस प्रदेश में भय का वातावरण नहीं होना चाहिये। प्रदेश दंगा रहित होना चाहिये, हम प्रदेश को भयमुक्त समाज बनायेंगे ऐसी हमारी नीतियां हैं। यह हमारे अकेले का काम नहीं है इसमें सबका सहयोग मिलना चाहिये, और मैं समझता हूं इसमें किसी का मतभेद नहीं होगा। जो

स्थानान्तरण किये जा रहे हैं यह [illegible] हैं इसमें बदले की भावनासे कुछ नहीं किया गया है । कानून व्यवस्था को सही बनाने के लिये व्यापक जनहित में कदम उठाये जा रहे हैं । जनता की सेवा करने का हमारा सामेचारी का दायित्व है । जहां तक पुलिस के मनोबल का प्रश्न है, पुलिस का मनोबल ऊंचा है । पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी शान्ति व्यवस्था कायम करने में लगे हैं । कोई भी इनके मनोबल को टूटने नहीं देना चाहेगा ।

इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम पुलिस का साहस जरूर बढ़ायेंगे लेकिन हमारी सरकार का कोई कदम ऐसा नहीं होगा जिससे पुलिस का दुस्साहस बढ़ पाये । मैं समझता हूं कि बड़ी स्पष्ट नीति है, आप सहयोग कीजियेगा तो सब ठीक होगा ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर और पीलीभीत के बारे में जैसा आरोप मैंने लगाया है वैसा कुछ हुआ है या नहीं इसको बड़ी सफाई से टाल गये । मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में पुलिस असंतोष भड़का है और असंतोष सड़क पर आया है इसको स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो, मुख्यमंत्री जी की सही हो इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करा लीजिये, सारी बातें सामने आ जायेंगी । सैकड़ों ऐसे स्थानान्तरण गलत हुये हैं उनको मैं सदन में बता दूंगा और सरकार की कथनी तथा करनी में अन्तर सामने आ जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जिन दो विशेष प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, पीलीभीत के प्रकरण की जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है । उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा । जो तथ्य सामने आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी । इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में जांच हो रही है । जांच के परिणाम जैसे ही प्राप्त होंगे, वह कोई क्यों न हो, यदि जांच में दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी की सूचना को मैं निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल व सुरेन्द्र नाथ की है । यह सूचना श्री रामपाल वर्मा के बड़े भाई कुबेर की मृत्यु के बारे में है ।

श्री रामपाल सचिव विधान सभा हरदोई के भाई की जिला अस्पताल हरदोई में हुई मृत्यु के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राम राज्य की स्थापना करने वाली सरकार की मनोवृत्ति और विपक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति बदले की भावना से कार्य करने की है । सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के एस० पी०, आई० जी०, डी० आई० जी० के साथ बैठकर स्पष्ट निर्देश दिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि विपक्ष के राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार न किया जाय । उसी के बाद पुलिस का मनोबल बढ़ा और पुलिस ने विपक्ष के लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरु किये । हरदोई से यह शुरु हुआ हमारे जिले के विधायक मा० रामपाल जी के बड़े भाई जो ब्लाक प्रमुख रहे हैं, उनको पुलिस ने जबरदस्ती बन्द किया और थाने पर माननीय रामपाल जी जब अपने भाई को देखने गये तो सी० ओ० संडीला माननीय सदस्य के सामने उनके भाई को बहुत पीटा और यह कहा कि तुम विधायक हो, अपनी औकात देख लो । श्रीमन् इसके बाद उनको जेल भेजा गया । जेल में उनकी तबीयत बहुत खराब थी । जेल में उनकी डाक्टरी जांच हुई और जांच में एक भी इंजरी नहीं लिखी गयी । माननीय राम आसरे वर्मा के साथ मैं भी जिला जेल गया । उनकी गम्भीर स्थिति थी । जिला अस्पताल से सर्जन बुलवाया गया । सर्जन ने तुरन्त यह निर्देश दिया कि इनको जिला अस्पताल तुरन्त स्थानान्तरित कर दिया जाय । श्रीमन् मैं घटना की सत्यता वर्णित कर रहा हूं । लेकिन उनको जिला अस्पताल नहीं भेजा गया हो सकता है उनको जहर भी पिला दिया गया हो, उनकी मृत्यु हो गयी ।

एक विधायक के भाई के साथ अगर इस प्रकार का बर्ताव होगा, विधायक चुने जाने के कारण अगर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार विधायकों का खुला उल्लंघन करेगी तो श्रीमन् इससे गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती । वह मेरे दल के थे और हरिजन थे और चूंकि हरिजनों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं किया इसलिये हरिजन विरोधी कार्यवाही और हरिजन उत्पीड़न किया जा रहा है जिसको आप रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं । हरिजन होने के नाते उनका उत्पीड़न किया गया और मारा गया है । माननीय रामपाल वर्मा जी के जाने के बाद भी जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों ने उपेक्षा की है वह एक बहुत ही गम्भीर विषय है । यह एक अत्यन्त शर्मनाक घटना है । मेरा निवेदन है कि इस पर कार्यवाही की जाय और जेल के सुपरिंटेन्डेन्ट, जेल के जेलर तथा डाक्टर और सी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा की जाय नहीं तो श्रीमन् हम सदन नहीं चलने देंगे ॥ मैं जिस दल का नेता हूं, यह मेरा नैतिक कर्तव्य है । दल के कार्यकर्ताओं ने मुझे यहां बैठाया है तो मैं उनकी सुरक्षा करूं । हरिजनों की सुरक्षा, जो मेरे दल की नीति है ।

उस नीति के तहत मैं मजबूर हूं आपके सामने मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्षमा के साथ, कि अगर यह लोग सस्पेन्ड नहीं हुए तो हम यह सदन चलने नहीं देंगे, यह मैं घोषणा करता हूं । मेरे साथ माननीय राम आसरे वर्मा जी भी मौजूद थे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा नाम आया है, इसलिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । चार-पांच अगस्त की रात में जेल के अन्दर माननीय रामपाल वर्मा जी के भाई कुबेर की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, वह संदिग्ध है । चार तारीख को माननीय रामपाल वर्मा जी मेरे पास आये और उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में बताया । जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट का पत्र जो जिला चिकित्सालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट के नाम था, उनके हाथ में था । सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एक सर्जन

को भेजा । मैं अपने साथ सर्जन को लेकर [illegible] । जेल में कुबेर की जो दर्दनाक स्थिति देखी, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गये । सारा शरीर सूजा था । बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे । सर्जन ने कहा इनको यहां से तुरन्त जिला अस्पताल पहुंचाओ और तुरन्त समुचित इलाज की व्यवस्था की जाय । उन्होंने कुबेर के टिकट को मंगाकर लिखा कि इसको जिला अस्पताल भेजा जाय । वहां से आने के बाद जिले के अधिकारियों ने, संभवत: डी० एम०, एस० पी० ने लाइन इंस्पेक्टर को लिखा कि स्पेशल गार्ड की व्यवस्था की जाय ताकि उसको जिला अस्पताल पहुंचाया जा सके ।

जेल के अधिकारियों ने साढ़े तीन बजे सूचना दे दी थी । सवा चार बजे मैंने अपनी ओर से प्रयास करके डी० एम० से कहना चाहा कि स्पेशल गार्ड भेजकर चिकित्सालय भिजवायें । उस समय दो बार टेलीफोन करने के बाद पता लगा कि जिलाधिकारी महोदय कमरा बन्द करके सो रहे हैं और स्पेशल गार्ड के बारे में कोई बात नहीं हो पायी । रामपाल वर्मा जी से हुई होगी । मुझे उस समय हरदोई से बाहर जाना था । रात में पता नहीं लगा कि क्या बात हुई ? पांच तारीख को साढ़े छ: बजे जिला जेल से टेलीफोन आया कि उसकी मृत्यु हो गई । यह घटनाक्रम है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यह हत्या है या मृत्यु, इसके बारे में कोई निर्णय दे पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने उदासीनता का परिचय दिया, मानवता का गला घोटा है, जेल के अन्दर हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ मानवीय व्यवहार हो, यह सुनिश्चित होना चाहिये । प्रशासन ने इसमें जो उदासीनता बरती, वह अत्यन्त निन्दनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करा लें तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । जेल के अन्दर यह भी बात हो सकती है कि बहुत से लोग जो राजनीतिक विरोधी थे उनके, वे कुचक्र रचने में लगे थे कि किस तरह से जेल के बाहर या भीतर हत्या की जाय, हो सकता है कि ऐसे लोगों का हाथ निकले । यह भी हो सकता है कि चोटें जो आयी थीं, उनके प्रभाव से कोई जहर पैदा हो गया हो, जिसके कारण मृत्यु हो गई हो । जो भी हो सारी परिस्थितियां संदेहास्पद थीं । इन सबके बारे में जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल पायेगा । इस सबके साथ ही मैं अपेक्षा करूंगा कि इस तरह की घटनाओं को आगे रोकने के लिए जरूरी है कि इस घटना में जो लिप्त पाया जाय, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि इस सूचना में दूसरे सम्मानित सदस्य के भी हस्ताक्षर हैं, अत: मैं चाहूंगा कि कही गयी बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए वे कोई नई बात जोड़ना चाहते हों तो कहें ।

***श्री सुरेन्द्र नाथ–**

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने आपके सामने एक प्रश्न को स्पष्ट रूप से रखा । मान्वर, विचारणीय बिन्दु यह है कि सदन के तीन सम्मानित सदस्य, जिला कारागार, हरदोई में स्वयं उपस्थित होते हैं, उनके सम्मुख चिकित्साधिकारी बन्दी कुबेर का निरीक्षण-परीक्षण करते हैं, उसके बाद अपनी संस्तुति प्रदत्त करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया गया ।

उसके बाद जिलाधिकारी को एक पत्र जाता है कि गार्ड उपलब्ध कराये जायं जिससे इस बन्दी को अस्पताल भेजा जा सके। प्रश्न यह है कि ये सदस्य झूठे हैं ? या 3 सदस्यों का कथन गलत है ? या डाक्टर का निर्णय गलत है ? जिन परिस्थितियों में जेल में बन्दी कुबेर की मृत्यु हुई, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपराध का विवरण देना प्रारम्भ करेंगे। मान्यवर, अपराध या अपराधी इसी समाज के बीच में पनपते हैं और कोई भी व्यक्ति जब तक न्यायालय से अपराधी घोषित नहीं होता है, तब तक वह अपराधी नहीं होता है। हम मानवीयता के गुण को कहां तक भूल सकते हैं ? तीन सम्मानित सदस्यों ने अपनी भावनाओं को आपके सामने रखा और यह मानकर कि ये तीन सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य ही कह रहे हैं और जिलाधिकारी ने या जेल अधिकारी ने जो भी निर्णय लिया है, वह पूर्वाग्रह-ग्रस्त थे। जेल अधिकारी का तत्काल निलंबन होना चाहिये और न्यायिक जांच होनी चाहिये।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–**

मान्यवर, माननीय सदस्य बाराबंकी ने बहुत ठीक कहा, उनको यह संदेह था कि जिस कुबेर की चर्चा यहां पर हो रही है, मैं उसके अपराधिक इतिहास की चर्चा करूंगा कि वह किस-किस मामले में जमानत पर थे, किस तरह के हिस्ट्रीशीटर थे, यह मैं बताना नहीं चाहता हूं। जेल में एक प्रताड़ना के तहत उनकी मौत हो गयी। मैं माननीय राम आसरे वर्मा का बहुत आभारी हूं, उन्होंने स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जेल में कुबेर से मिले थे। वह इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और 1977 से हम और वह साथ-साथ बैठते हैं। यह सत्य है कि मृत्यु हुई, इस पर हमें भी विचार करना है। मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी की बात का बहुत सम्मान करते हुए, जो इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी भावना का पूरा-पूरा सम्मान करते हुये घोषणा करता हूं कि इस पूरे मामले की मैजिस्टीरियल जांच करा ली जायगी।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं, श्रीमान। मैं यह नहीं मानूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्य हमारी पूरी बात सुन लें, आपकी शंका का समाधान हो जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने माननीय सदन को भ्रमित करने की चेष्टा की है। अगर आप यह घोषणा करते हैं कि मजिस्ट्रेट की जांच करा लेंगे, तो मान्यवर, मजिस्टीरियल जांच तो होती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में होती है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हीं के हित को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है । मान्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है और न ही इससे शासन की ओर से सदन की भावना का ही सम्मान होता है ।

मान्यवर, दूसरी बात है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वर्मा जी ने कहा, भ्रमित करने की कोशिश की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मजिस्ट्रेट की जांच आने दीजिये, मैं माननीय वर्मा जी, माननीय तिवारी जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी और माननीय लखीमपुर के साथी से बात करके अगर समाधान न होगा तो और भी जांच करा ली जायेगी । एक बात और सुन लें, यह मामला नियम 300 में आया हुआ है, आप देख लें, नियम 300 में वह मामला उठाया जायेगा जो इस आदरणीय सदन के संज्ञान में कार्यवाही से संबंधित है । इसलिये मेरा निवेदन है कि नियम 300 के अन्तर्गत यह आता नहीं है फिर भी हमने मैजिस्ट्रेट की जांच की बात कही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही देखी जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें दो बातें आ गयीं जो बड़ी गम्भीर हैं । एक तो इसी सम्मानित सदन की परम्परा रही है कि जब कोई विधायक आप बीती सुनाता है या अपने सामने घटित घटना बताता है तो उसे सच मानकर चला जाता है, यह परम्परा रही है इसमें कुछ बातें विधायकों के सामने हुई हैं । एक तो माननीय विधायक जिनके भाई थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा गिरफ्तार करके जेल भेजना तो पुलिस का कर्तव्य है (व्यवधान) । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि पुलिस ने उनके सामने यह कहा कि विधायक के भाई हो लो मैं तुम्हारे सामने मारता हूं । मान्यवर, यह सदन का ही नहीं सम्पूर्ण सदन का अपमान है । दूसरी एक बात में बड़ी स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि 3–3 विधायक हमारे जाते हैं, वह घायल हैं तो तीनों यह नहीं कहते हैं कि उनको छोड़ दो ।

श्री अध्यक्ष–

आप दोहरा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वह यह कहते हैं कि घायल हैं दम तोड़ रहे हैं उनको चिकित्सा सुविधा मिल जाय । मान्यवर, तीन-तीन विधायक यह कहें कि इनको चिकित्सालय भेजा जाय और नहीं भेजा गया तो एक प्रश्न उभरकर सामने आता है कि तीन विधायकों की बात न मानकर उनको चिकित्सा सुविधा न दी जाय और उस पर आरोप माननीय सदस्य नरेश अग्रवाल का है (व्यवधान) ।

तो मान्यवर, निश्चितरूप से [xxx] अगर सरकार चाहती है तो सब दलों की एक समिति बना दी जाय जो मौके पर जाकर जांच करे । माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे न्याय की भीख मांगते हुये, आपसे निर्णय नहीं चाहता, यह एक बहुत गम्भीर आरोप है इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित सदस्य चले जायं, जनता दल के भी चले जायं, कांग्रेस के भी चले जायं और मैं खुद इस बात को कहने को तैयार हूं कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं जायेगा दूसरे दल के सम्मानित सदस्य चले जायं और जो रिपोर्ट दल दे दे उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जाय ।

मान्यवर, एक हरिजन की हत्या सुनियोजित ढंग से की जायेगी एक विधायक की हत्या सुनियोजित ढंग से की जायेगी तो क्या आप कठोर कदम उठाने को विवश नहीं होंगे ? क्या आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चूंकि 3–3 माननीय विधायक इस घटना के समय में अपनी उपस्थिति बता रहे हैं इसलिये मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से यह निवेदन कर रहा हूं इसे निर्देश के रूप में भी स्वीकार कर लें मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि उच्च स्तरीय जांच पूरे प्रकरण की करायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो निर्देश आपने दिये हैं वह शिरोधार्य हैं लेकिन आपके संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूं कि माननीय राम आसरे वर्मा जी के भाषण में कहीं मैं नहीं समझता कि वह प्रत्यक्षदर्शी हैं, वह ज्ञानवर्धन कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 4 तारीख को मैं स्वयं गया था ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसे मैं नहीं मानूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जेल की रिपोर्ट भी गवाह होगी कि राम आसरे वर्मा जी, राम पाल वर्मा जी जेल चिकित्सालय के एक सर्जन को अपने साथ लेकर अस्पताल गये ।

[1 बजकर 30 मिनट]

जो जिला जेल के अन्दर का अस्पताल था उसमें गये । अपनी आंखों से उनकी स्थिति को देखा । डाक्टर ने उनके टिकट पर लिखा भी कि इन्हें तुरन्त जिला चिकित्सालय भेजा जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने उच्चस्तरीय जांच की बात कह दी है । यह सूचना इसके अंतर्गत नहीं आती है । (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें मजबूर होकर वहां आना पड़ेगा ।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री बंशीधर राज आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये । श्री नरेश अग्रवाल सदन के फ्लोर से कहने लगे कि हम आपका पूरा सम्मान करते हैं लेकिन इस तरह से अगर हरिजनों की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्यायें होती रहेंगी तो फिर कैसे सदन चलेगा । वे कहने लगे कि इस पर आपके चैम्बर में भी कुछ बातें तय हुयी थीं । सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर कई सदस्य मांग करने लगे कि मारने वालों पर मुकदमा भी कायम होना चाहिये ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं । मैंने उच्चस्तरीय जांच की बात कह दी है ।

श्री नरेश अग्रवाल सदन के फ्लार से कहते रहे कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आपके सामने विरोध प्रदर्शित करना ही पड़ेगा । आप इस पर सरकार को स्पष्ट निर्देश दें । वे कहने लगे कि न्यायिक जांच के आदेश दीजिये, उच्चस्तरीय जांच में कोई फायदा नहीं होगा ।)

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर वापस जायं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन के फ्लोर से कहते रहे कि दोषी लोगों का निलंबन आवश्यक है, उसके बिना जांच हो नहीं सकती । वे कहने लगे कि हम लोगों की बात नहीं मानी जायेगी तो सदन कैसे चलेगा । यहां तीन विधायकों की बात को सत्य नहीं माना जा रहा है । श्री बंशीधर राज कहने लगे कि हरिजन विरोधी है यह सरकार, हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं आप सदन की एक कमेटी गठित कर दीजिये ।)

आप लोग कृपया करके अपने-अपने आसन पर वापस जायं । उच्चस्तरीय जांच की बात कह दी गयी है, उच्चस्तरीय जांच के परिणाम आने दें। मैंने उच्चस्तरीय जांच के लिये कह दिया है।

(श्री नरेश अग्रवाल व अन्य माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे।)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव (नेता विरोधी दल)–

मान्यवर, यह मसला जोसदन के समक्ष आया है बहुत गम्भीर मसला है । मैं यह समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा, श्री प्रमोद जी और श्री नरेश जी ने जो बातें कही हैं उसकी गम्भीरता पर हमें विचार करना चाहिये । किसी विधायक के भाई के साथ घटना हो गयी उसमें तीन विधायक अपनी बात कह रहे हैं, उसे गम्भीरता से लेना चाहिये । मान्यवर, ऐसे अपराधों की बाढ़ को रोकने का काम आपको करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से, जो सदन के फ्लोर पर खड़े हैं, निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने-अपने आसन पर वापस जायं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह बात जायज है कि किसी भी व्यक्ति की जेल के हिरासत में प्रताड़ना, उसको औषधि न देना और उसका किसी भी प्रकार से इलाज न होने देना यह गंभीर मसला है । मारपीट होती रही, जेल के अंदर गये लोगों ने यह रिपोर्ट दी कि उसकी दवा होनी

चाहिये, औषधि होनी चाहिये और उसके बाद भी हत्या हो गयी । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसको बड़ी गंभीरता से लेने का कष्ट करें ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

...तीन-तीन विधायक जो बात कह रहे हैं यह वास्तविकता है । आपको इसकी सत्यता में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । यह स्वतः प्रमाणित है । मान्यवर, जिन विधायकों ने देखा, माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने एवं श्री प्रमोद कुमार जी ने देखकर कहा है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मानवीय आधार पर निर्णय होना चाहिये । न्यायोचित यही होता कि उनकी दवा करायी गयी होती । उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई होती । मैं यही चाहूंगा कि जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाये उसे जांच के पहले ही क्यों न निलम्बित करना पड़े । निलम्बित किया जाये और न्याय की प्रक्रिया में अन्याय न होने पाये । मान्यवर, न्यायोचित यही होगा कि सदन की एक कमेटी बना दी जाये और उसमें दोनों ही पक्षों के (सत्ता पक्ष और विपक्ष) के सदस्य हों और यह समिति जो भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे उसी के अनुसार आप अपना निर्णय दें । मान्यवर, मजिस्ट्रीरियल जांच का कोई मतलब नहीं होता । क्योंकि वह सत्ता पक्ष से दबा होता है और सत्ता पक्ष की ही बात मानता है ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदस्यों की एक कमेटी का निर्माण कर दें जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य हों और वह अपना प्रतिवेदन जब सदन में प्रस्तुत करें तभी उसके अनुसार आप निर्णय दें । मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप सदस्यों की भावनाओं से अवगत होंगे और उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, यह हरिजनों की अत्याचार की एक ही मिसाल नहीं है । आपने उन्नाव के बारे में सुना होगा । वहां पर भी हरिजनों का उत्पीड़न किया गया उनके झोंपड़े नष्ट कर डाले गए पुलिस ने उन पर अत्याचार किया है । मान्यवर, जब पुलिस ही इस प्रकार के कार्य करेगी, जब रक्षक ही भक्षक हो जायेगा, जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जायेगा, उन्हें दवा न कराने का अवसर न दिया जायेगा, उनके प्राण ले लिये जायेंगे तो कैसे यह प्रशासन चलेगा । इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हर मजिस्ट्रेट सत्ता पक्ष से मिला होता है, उसकी हर बात मानता है, मैं समझ नहीं पाया कि उनका आशय क्या है । अगर उनका आशय यह है कि हर मजिस्ट्रेट शासन के रूख को देखकर कार्य करता है तो गलत है । हमारे सारे मजिस्ट्रेट ईमानदार हैं । मान्यवर, आपने मुझे उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए निर्देश दिया है तो उसे मैंने स्वीकार कर लिया है । मान्यवर, जहां तक हरिजनों की रक्षा का ताल्लुक है, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के सारे हरिजनों की सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें फिर भी निर्णय दें । मान्यवर, उनकी हत्या हुई या मौत हुई जेल से लेकर जिला प्रशासन तक उसमें शामिल है । डी० एम०, एस० एस० पी० जिन्हें सूचना मिलती है उनकी भी उदासीनता इसमें शामिल है । एस० डी० एम० अगर जांच करता है तो क्या वह डी०एम० या एस०पी० के खिलाफ कोई निर्णय दे पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें और मुझे अपना निर्णय देने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सभी के विचार अभी आपने सुने हैं । मेरे भी विचार आप सुन लीजिये । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत ही अनुभवी और विद्वान हैं लेकिन कभी-कभी वे संसदीय परम्पराओं से ऊपर उठ जाते हैं । मान्यवर, आपने मजिस्ट्रीरियल जांच को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं । संसदीय कार्यमंत्री जी मजिस्ट्रीरियल जांच को लेकर फिर खड़े हो गये । हमारा निश्चित आरोप है कि यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं । मान्यवर, आप मजिस्ट्रीरियल जांच से असंतुष्ट थे इसलिये आपने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये थे तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी उच्च स्तरीय जांच कराने जा रहे श्रीमन् मैंने स्वयं उनसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कहा लेकिन श्रीमन् उन्होंने ऐसा नहीं किया । श्रीमन् 3-3 विधायकों ने जाकर अनुरोध किया कि उपचार कराया जाय, लेकिन नहीं कराया गया । आपने कहा कि हम सारे अधिकारियों का साहस बढ़ायेंगे, लेकिन यह दुस्साहस बढ़ाने वाली बात है । शब्दों के चयन में यह बड़े माहिर हैं । हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से लें और चूंकि यह एक विधायक के भाई का मामला है, इसलिये यह अन्य मामलों से ज्यादा गम्भीर है । हमारे एक साथी का भाई हम सब लोगों का भाई है । इस घटना से हम सभी लोगों का दिल मर्माहत है और अगर आपने इसमें उचित न्याय नहीं किया तो हम लोग विवश होंगे, अशान्ति पैदा करने के लिये । इस मामले में उच्च स्तरीय जांच क्या होगी और दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, इसकी घोषणा आज इसी सदन में जानी चाहिये ।

श्री ऊबल–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । मैं ऐसा समझता भी हूं कि संसदीय कार्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोग जो हैं, उनमें आपस में एकरूपता हो गयी थी, सहमति हो गयी थी । लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कही, वह जांच की बात कही, वह जांच इस मामले में मुनासिब नहीं है । मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं जैसा कि बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि यह एक विधायक के भाई का मामला है, इसलिये ज्यादा गम्भीर है, अगर ऐसा है तो बाकी 13 करोड़ जनता कहां गई ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो उच्चस्तरीय की बात कही है । उसमें थोड़ा सा संशोधन करके सी०आई०डी० की जांच करवाई जाय और जो लोग दोषी हैं उनको अगर निलंबित करना संभव न हो तो उनको वहां से हटाकर अन्यत्र कर दिया जाय, अन्यथा सही जांच नहीं हो पायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कही थी, मैंने उसको पर्याप्त नहीं समझा । मुझे यहां पर विधायकों के सम्मान का संरक्षक माना गया है । चूंकि यह एक विधायक के भाई का मामला है और तीन-तीन विधायकों ने किसी न किसी समय जेल में अपने होने की पुष्टि भी की है, इसलिये मैंने उच्चस्तरीय जांच की बात कही है । सी०आई०डी० जांच की रिपोर्ट आने में महीनों लग जायेंगे, जिससे न्याय होने में वर्षों लग जायेंगे । जहां तक उच्चस्तरीय जांच की बात है, उसमें इस सारे प्रकरण पर कमिश्नर लेबिल से जांच हो जायेगी, इसीलिये मैंने उच्चस्तरीय जांच का निर्देश दिया है । इसी निर्देश के साथ मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।

(कांग्रेस आई० के समस्त सदस्यों की ओर से निलंबन की मांग)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिन अधिकारियों ने 3–3 विधायकों के कहने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिन्होंने विधायक के भाई को मारा है, उन जेल अधिकारियों के खिलाफ जब तक मुकदमा कायम करके उन्हें निलंबित नहीं किया जाता, तब तक यह प्रकरण खत्म नहीं होगा ।

(कांग्रेस पार्टी व जनता दल के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा अपनी बात एक साथ कहने पर सदन में अत्यधिक शोर हो गया, जिससे कोई चीज स्पष्ट सुनाई नहीं दी ।)

(इसी बीच कांग्रेस पार्टी के कई विधायक सदन के वेल में आ गये और सदन के वेल में बैठ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आप लोगों की बात मान कर उच्चस्तरीय जांच के निदेश दिये हैं । आप लोग जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

(कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य वेल पर खड़े होकर "हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जो यह व्यवहार कर रहे हैं, यह अनुचित है । जांच रिपोर्ट को पहले आने दें । आप लोगों से मुझे इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी ।

(वेल में खड़े होकर श्री नरेश अग्रवाल कहने लगे कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है । हमारे दल के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है । हम इसे सहन नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, इस कुर्सी पर बैठने के बाद, मुझे धृष्टता के साथ कहना पड़ रहा है, आपसे हमें

न्याय की आशा है । श्री नरेश अग्रवाल के साथ कई अन्य कांग्रेस के सदस्य भी एक साथ कहने लगे कि निष्पक्ष जांच के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारियों का पहले निलंबन किया जाय ।

(अत्यधिक शोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा सदन के "वैल" में खड़े होकर "हरिजन विरोधी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगानें से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन यह है कि सम्मानित सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

(सदन के "वैल" में से बोलते हुये ।)

अगर विधायकों की बात को आप सत्य नहीं मानते हैं तो इस सदन में इस पीठ से जो न्याय मिलने की आशा थी, वह समाप्त हो गयी है। आप तीन-तीन विधायकों की बात सत्य नहीं मान रहे हैं, अधिकारियों की मान रहे हैं, इससे विधायकों की इज्जत नहीं रह जायेगी। मैं इस पीठ से संरक्षण चाहता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप सदन नहीं चलने देंगे तो नहीं चलाऊंगा ।

(कांग्रेस और जनता दल के सदस्य सदन के "वेल में खड़े होकर" हरिजन विरोधी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे ।)

आप लोग नहीं चाहते हैं कि सदन चले, आप केवल यह चाहते हैं कि कल के समाचार-पत्रों में छपे कि आपने प्रदर्शन किया मैं 2 बजे अपराह्न तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया । 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा दो बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। तत्पश्चात् 2 बजकर 15 मिनट सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुयी ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत दूसरी सूचना–

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, उसमें निर्णय क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

वह प्रकरण समाप्त हो गया है । आप लोग बैठ जायें, दूसरे सदस्यों के अधिकार का हनन न करें । मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि उसको निरस्त कर दिया गया है । मैंने 311 की सूचना को निरस्त कर दिया है और निर्देश दिया है कि उच्चस्तरीय जांच करा ली जाये ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

यह तो सदन के सदस्यों की अवमानना हुयी । अगर आप ही सदस्यों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कौन करेगा और उनको कहां पर संरक्षण मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री बलराम यादव जी, आप अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल जो कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा वह नहीं लिखा जायेगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र नाथ, शिव बालक, श्याम सुन्दर शर्मा, श्याम नारायण तिवारी, बृजेन्द्र पाल सिंह यादव तथा कई अन्य सदस्य वैल आफ दि हाउस में आ गये ।)

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ (सदन के वैल से)–

अगर आपसे सदस्यों को संरक्षण नहीं प्राप्त होगा तो किससे होगा ? घटना की न्यायिक जांच करा दी जाये । यह हरिजन हत्या का मामला है । तीन सम्मानित सदस्य उसके साक्षी हैं और आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इस तरह से माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन मत करें । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसमें उच्चस्तरीय जांच करायें ।

(व्यवधान)

(हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी के नारे सदन के मध्य खड़े होकर लगाये ।)

श्री अध्यक्ष–

मुझे बाध्य होकर कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा (व्यवधान) आप लोग शांत रहें, अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोगों के कारण माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं । मुझे अप्रिय निर्णय लेना पड़ेगा (व्यवधान) मैं उन सम्मानित सदस्यों से क्षमा मांगते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूं । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी अपनी सूचना की ग्राह्यता के बारे में अपनी बात कहें । (व्यवधान) मैंने आपकी सूचना को लिया है आपने ग्राह्यता पर कुछ बोलना है ?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पहले सदन को व्यवस्थित तो करायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश जी आप बैठ जांय मैंने हृदय नारायण जी को बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

हरिजन की हत्या हो गयी है (व्यवधान) जेल में हत्या हुई है इसकी जांच होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें निर्देश दे दिये हैं उच्चस्तरीय जांच की जायेगी (व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण करें मैंने हृदय नारायण जी को अपनी बात कहने को कहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पहले व्यवस्थित करायें ऐसे में सुनाई नहीं पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश जी मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आप कृपया बैठ जांय (व्यवधान) मुझे कोई कठोर निर्णय लेने के लिये बाध्य न करें । (व्यवधान) माननीय सदस्यों का यदि इस प्रकार का आचरण रहा तो मैं बाध्य हो जाऊंगा आप कृपया अपना स्थान ग्रहण

करें । मेरा निवेदन है कि आप अपने वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श कर लें । (व्यवधान) कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

हम माननीय सदस्यों से जांच की मांग कर रहे हैं, माननीय सदस्यों के सामने घटना हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो यहां प्रांगण में खड़े हुए हैं उन की कोई बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर जेल में हत्या हुई है तब भी सरकार को कोई निर्देश नहीं देगें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे किसी अप्रिय निर्णय लेने के लिये बाध्य मत करें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, हरिजन को जेल में मारा गया, उन्नाव में हरिजन को मारा गया, पूरे प्रदेश में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है ।

(व्यवधान के मध्य)

आपकी पीठ से हम लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है और सत्ता पक्ष से आप पर दबाव पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें ।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहींचलेगी के नारे लगाते हुए अनेक मा० सदस्य वैल के बीच में बैठ गये जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करें और तब आगे सदन की कार्यवाही चलायें। मैंने आप से निवेदन किया था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है । आपने भी इसकी गंभीरता को स्वीकार करते हुए ही कहा था कि इस पर विचार किया जायेगा । मैं यह समझ रहा हूं कि जब कभी सदन स्थगित होता है तो एक मान्य परम्परा रही है कि संबंधित पक्षों को बुलाकर आपके कक्ष में बातचीत हो जाती है और कोई नतीजा निकल आता है । मैं अब समझ रहा था कि चूंकि दो-तीन बार सदन स्थगित हुआ और काफी समय इसमें लग गया मैंने अपेक्षा की थी कि आपके कक्ष में बातचीत हो जाये और इसका कोई निष्कर्षक हल हम

लोग निकाल लें लेकिन फिर सदन शुरू हुआ और फिर यह मसला आपके सामने आ गया। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिये इसमें हम सब की एक राय है, मेरी मान्यता है कि सदन अव्यवस्थित रहेगा तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी । मान्यवर, 13 अगस्त तक सदन चलना है और अभी सारे मसले पड़े हैं । माननीय विधायक अपनी-अपनी समस्याओं को नहीं उठा सके हैं और यह समस्या इतनी गंभीर उठ गयी है जिसका निदान बड़ा आवश्यक हो गया है । इसीलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी मांग ऐसी नहीं है कि स्वीकार न की जा सके । जेल के अन्दर यह घटना हुई है । जेल के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह न किया, यह आप लोग कहते हैं लेकिन विधायकों ने जिस तथ्य को आपके सम्मुख रखा है उससे लगता है कि लापरवाही बरती गयी है और लापरवाही इस कदर बरती गयी है कि आदमी मौत की गोद में चला गया । डाकू भी पकड़े जाते हैं, जेल भेज दिये जाते हैं और बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भरती किया जाता है और उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाता है । लेकिन कोई भी व्यक्ति जेल में बंद हो और उसकी दवा का प्रबन्ध न हो और जान से मारने की प्रक्रिया हो तो इसकी जितनी भी निंदा हो कम है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जिन अधिकारियों का दोष है उन्हें निलम्बित किया जाये और निलम्बित करके उन पर आप कार्यवाही करें ।

मैंने आप की बात का समर्थन तहे दिल से किया कि डी०एम० इंक्वायरी करें लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने आयुक्त की बात कही और जिससे विपक्षी नेतागण सहमत हुए । आपकी व्यवस्था से हमने अपने को सहभागी बना लिया । आप उदार और संविधान के ज्ञाता हैं, इसीलिये आप मेरी मांग पर विचार करें कि जिनका दोष है उन अधिकारियों को सरकार तत्काल निलम्बित करे और जांच बिठाये और जांच से जो परिणाम आयेंगे जो व्यवस्था होगी उसे हम स्वीकार करेंगे । मान्यवर, आप मेरी मांग पर उदारता पूर्वक विचारकर स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं करेंगे और न सदन के वैल में बैठेंगे । हम स्वयं मानते हैं कि सदन की कार्यवाही आपके अनुसार व्यवस्थित ढंग से चलनी चाहिये । लेकिन जब कोई बात तीन-तीन विधायक कह रहे हैं तो हो सकता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं किन्हीं अधिकारियों का दोष रहा हो ।

मान्यवर, जो भावना साधारण नागरिक के साथ होती है वही भावना जेल के कैदी के साथ होनी चाहिये और इसीलिये नागरिक की भांति कैदी को दवा, भोजन मिलना चाहिये यह नहीं कि कोई कैदी पकड़कर जेल जाये तो उसकी हत्या करवा दें ।

...मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आपका सदन व्यवस्थित रूप से चलेगा, इसका मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं । लेकिन आप कृपा कर इस हमारी मांग पर विचार कर लें कि इस संबंध में अधिकारी जो दोषी हैं, उनको आप पहले निलंबित करके हटा लें। यही मुझे कहना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ने सदन को व्यवस्थित रूप मे चलाने का आश्वासन दिया, इसके लिये मैं बहुत उनका आभारी हूं । आप संसदीय प्रणाली और प्रक्रियाओं के कुशल ज्ञाता हैं और मंत्री पद भी सुशोभित कर चुके हैं । आपने अभी मुझसे कहा है कि आप दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दें, लेकिन मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है । न मुझे इस बात का कोई अधिकार है न किसी अन्य माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार है । मैं केवल आपके अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री अथवा मुख्य मंत्री तक पहुंचा सकता है । जब मैजिस्ट्रियल जांच की बात स्वीकार नहीं हुई तो मैंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच करायी जाय । इसे वह स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सक्षम नहीं हू इसे स्वीकार कराने लिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय नेता विरोधी दल के इन उद्गारों से पूरी तरह सहमत हूं । कि विधायक बहुत बड़ी चीज है और विधायक का भाई भी है और मैं तो कहता हूं कि सामान्य नागरिकों के अधिकारों का भी पूरा-पूरा संरक्षण किया जाना चाहिये । मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि जिन श्री कुंवर की चर्चा यहां की जा रही है, वह किस स्तर के अपराधी थे या किस स्तर के हिस्ट्रीशीटर थे । मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान/हंगामा)

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इनको इस तरह कहने से रोकिये...(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी मान्यवर, आज्ञा मैंने शिरोधार्य की है मान्यवर, अभी आपने शासन को निर्देशित किया है इसकी जिस स्तर से जांच करायी जाय मैं इसके लिये भी तैयार हूं । आप जिस किसी अधिकारी से जांच कराना चाहें मैं उससे कराने के लिए तैयार हूं । साथ ही जिस अधिकारी को नामित करेंगे, उससे करा दूंगा लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है, उसको आप संरक्षण दें । हम जांच कराने के लिये तैयार हैं और बहुत जल्दी जांच की रिपोर्ट आयगी, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जांच के परिणाम स्वरूप, माननीय विधायकों ने इस पर जो जो तथ्य दिये हैं उसको मद्देनजर रखा जायगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बड़ा से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, जांच में किंचित भी उसकी गलती सिद्ध हो रही है तो उसे बख्शा नहीं जायगा, निश्चित रूप से बख्शा नहीं जायगा । तो मैंने जब आपकी बात मान ली और जिस अधिकारी से कहेंगे उससे उसकी जांच कराऊंगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बेनी प्रसाद वर्मा जी अभी आप बैठें । अभी हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करा रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम भी आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं, ''व्यवधान'' कभी-कभी यहां अकारण भी गुत्थी बन जाती है सत्तापक्ष और विरोध पक्ष में, उसको हिसाब आपको करना पड़ेगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा आप चाहेंगे और मुख्यमंत्री और सरकार से कहेंगे तो इसका कोई न कोई हल निकल ही आयेगा और जब असामान्य स्थिति हो सदन में तो उस मामलें में उसको और अधिक उत्तेजनापूर्ण बनाने का प्रयास न किया जाय तो बहुत अच्छा है। किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो लेकिन किसी सरकार या अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके नाम पर उसकी जान ले ली जाय, यह फैसला अदालत करेगी । लेकिन संसदीय कार्यमंत्री ने जो इस तरह इस मामले को उत्तेजक बनाया उसके लिये हमें गहरी आपत्ति है । इसमें यदि आपने नेताओं को बुलाकर विचार कर लिया होता हो अच्छा होता । आप जो कहते हम उस पर तैयार हो जाते । मैं यही प्रमोद तिवारी जी से भी कह रहा हूं, आप जो कहेंगे, कह देगें, हम उसको मान लेंगे । इसमें एक विधायक है भाई का मामला है ।

...जो कहा है । श्रीमन् इसमें माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता विरोधी दल जो कह देंगे वह मान्य होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात उनसे कह सकता हूं । उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं । मैं यह आदेश नहीं दे सकता कि उनका निलम्बन कर दिया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पीलीभीत कांड में जो एस०पी० थे उनका पहले स्थानान्तरण किया गया था फिर जांच की कार्यवाही की गयी थी । इसी तरह से यहां पर सरकार अगर उनको वहां से हटायेगी नहीं और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी तो श्रीमन् इस तरह से जांच तो हो नहीं पायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आगे की कार्यवाही कैसे चल पायेगी ? सदन अव्यवस्थित है । वैल में माननीय सदस्य बैठे हुये हैं । आप उन्हें आश्वस्त कर दें ।

(वैल में बैठे माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

(हरजिन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । पूंजीपतियों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । लाठी डंडों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । इस तरह सरकार विरोधी नारे लग रहे थे– पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गूगें बहरों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हरिजन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी) (घोर व्यवधान के मध्य श्री बलराम यादव, श्री अरविन्द कुमार, श्री हृदय नारायण दीक्षित एवं कुछ अन्य सदस्य ''डायरी राइटर'– की टेबिल पर चढ़ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे ।)

नियम 311 की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम-311 के अंतर्गत कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) की है, जो पुलिस विभाग में स्थानान्तरण तथा पुलिस कर्मियों में व्यापक असन्तोष के बारे में है । दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल एवं सुरेन्द्र नाथ की है, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री रामपाल वर्मा के बड़े भाई की जेल में मृत्यु हो जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री बलराम यादव एवं श्री हृदय नारायण दीक्षित के जनपद बुलन्दशहर में शान्तिमय दंग से प्रदर्शन कर रहे समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री रामलखन तथा श्री अंगद यादव की है । जो दिनांक 30-7-91 को चण्डीखेड़ा मुस्तफाबाद हसनगंज उन्नाव की घटना के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री बाबूराम यादव की है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में सजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सत्तापक्ष द्वारा अत्याचार एवं उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) की पहली सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं । श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री सुरेन्द्र नाथ की सूचना पर उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश सरकार को देता हूं । बुलन्दशहर में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने संबंधी घटना पर (घोर व्यवधान के मध्य) गोलीकांड में पुलिस की भूमिका, न्यायिक मामले को छोड़कर, सी०आई०डी० जांच कराने के निर्देश सरकार को दिये हैं। चौथी एवं पांचवी सूचना को मैं विचारोपरान्त अग्रहाय करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें ग्राह्य की गयी हैं वह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(आवाज सुनाई न देने के कारण कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ ।)

श्री निरवेन्द्र कुमार ने जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में धार्मिक स्थानों के पास मधुशालायें खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की है, जो जनपद गाजीपुर में विद्युत विभाग द्वारा खराब ट्रान्सफारमरों को न बदले जाने के संबंध में सूचना दी है । तीसरी सूचना श्री गामाराम शास्त्री की है, जो जनपद गाजीपुर स्थित देवकली पम्प नहर द्वारा पूरी क्षमता से पानी न दिये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है, जो टाण्डा में ट्रांस्फारमर लगाने एवं विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की है, जो जनपद हरदोई के मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्डों के समस्त ग्रामों में पेयजल की समस्या के संबंध में है । छठी सूचना श्री भारत सिंह रावत की है, जो गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर के कई गांवों में गम्भीर पेयजल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री ऊदल

की है, जो सीमेंट निगम के तीन कारखाने डाला, चुर्क, चुनार के कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध में है । इन माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानीं गयीं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद खीरी की तहसील निघासन में धार्मिक स्थलों एवं स्कूल के निकट मधुशालायें खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री निरवेन्द्र कुमार–**

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय आप के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में मधुशालायें, गुरुद्वारों, स्कूलों, तथा मस्जिदों के बिल्कुल निकट खोल रखी हैं जिसके कारण जनता पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है ।

आबकारी विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान न देकर गरीब लोगों के घरों में घुस कर जनता को अपमानित कर रहे हैं ।

अतः मेरी आप के माध्यम से शासन से मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच करायी जाय ।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों में जले एवं खराब ट्रांस्फारमरों को विद्युत विभाग द्वारा न बदले जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री सुरेन्द्र सिंह–**

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व जनपद गाजीपुर विद्युत विभाग के जले हुये या खराब 100 के०बी०ए०, 63 के०बी०ए० 25, के०बी०ए०, ट्रान्स्फारमर के बदलने व नये ट्रांस्फारमर लगाने, व मरम्मत की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विकास खण्ड देवकली, सादात, मनिहारी, जखनियां, विरनो, मरदह, कासमाबाद, बाराचवर, में जले हुये ट्रांस्फारमर व खराब की संख्या बहुत अधिक है । यह ट्रांस्फारमर किसी गांव में चार महीनों से जले हुये हैं तथा अधिशासी अभियंताओं विद्युत वितरण प्रथम एवं द्वितीय को सदस्य विधान सभा जहूराबाद, जखनिया, तथा मेरे द्वारा दूरभाष पर तथा लिखित रूप से सूचना दी गयी लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस क्षेत्र में सूखा है इस कारण स्थानीय कृषकों एवं जनता में रोश एवं क्षोभ व्याप्त है । स्थानीय हजारों की संख्या में लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया और विभाग के अभियंताओं के द्वारा इस विषय पर बहुत ही शिथिलता बरती गयी । इसलिये यह लोग दोषी है इनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिप्पणी-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि ये जले हुये ट्रांस्फारमरों के स्थान पर बदल कर दूसरा ट्रांस्फारमर लगाया जाये। जिससे उस क्षेत्र के कृषकों एवं जनता को राहत एवं न्याय मिल सके।]

जनपद गाजीपुर में सिंचाई विभाग के देवकली पम्प नहर द्वारा पूर्ण क्षमता भर पानी न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री रामाराम शास्त्री–**

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व जनपद गाजीपुर सिंचाई विभाग देवकली पम्प नहर द्वारा अपनी पूरी क्षमता का पानी न दिये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस नहर के पानी देने की कुल क्षमता 1050 क्यूसिक है, लेकिन यह बहुत ही कम पानी दे रही है। इस नहर में कुल पम्प 7 हैं। वर्तमान समय में तीन ही पम्प चालू स्थिति में हैं। जिसमें से कभी-कभी कोई न कोई खराब भी रहता है। इस पम्प को विद्युत आपूर्ति भी बंद होती है। इसमें कम वोल्टेज भी रहता है। इस नहर के अभियंताओं द्वारा शिथिलता की जा रही है।

उपरोक्त कारणों से नहर पानी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं दे पा रही है। स्थानीय कृषकों एवं जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इनके कारण संबंधित अभियंताओं एवं जिला मुख्यालय पर किसानों व जनता में हजारों की संख्या में धरना एवं प्रदर्शन किया और दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें जिससे उपरोक्त पम्प नहर पूर्ण क्षमता से चालू हो सके। जिससे क्षेत्र के कृषकों को राहत एवं न्याय मिल सके।]

जनपद फैजाबाद के टाण्डा कस्बे में ट्रान्सफारमर लगाने एवं विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री लाल जी वर्मा–**

[मान्यवर, टाण्डा एक बुनकर बाहुल्य नगर है जिसमें लगभग 20 हजार पावर लूम जिसके माध्यम से लगभग 60 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। परन्तु बिजली आपूर्ति अधिकतर बंद रहती है। जिसके कारण बुनकर भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये टाण्डा में 5 मेगावाट क्षमता का ट्रांसफारमर लगाने एवं भलेपुर एवं केदारनगर में विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिप्पणी-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्ड के समस्त ग्रामों में पेयजल की समस्या के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री राम आसरे वर्मा–**

[मान्यवर, जनपद हरदोई के मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम विकास खण्डों के समस्त ग्रामों एवं मल्लावां, माधोगंज तथा कुरसठ के स्थानीय निकायों में पेयजल के भीषण संकट की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर के कई गांवों में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री भारत सिंह रावत–**

[मान्यवर, गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर में भावर में पदमपुर, शिवपुर, काशीरामपुर व कोटद्वार नगरपालिका क्षेत्र में भयंकर पेयजल संकट है । जलसंस्थान कोटद्वार का सुखरों देवी टयूब बैल खराब हो गया है । धनाभाव के कारण ठीक नहीं किया जा रहा है । जिससे भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है । जल संस्थान कोटद्वार गढ़वाल पदमपुर स्थित टयूब बैल से जो कि मशीनरी का अपना टयूब बैल है बिना लाभ हानि के आधार पर जनहित में पेयजल की व्यवस्था करता था, किन्तु विद्युत विभाग ने मिशनरी पर व्यापारिक दर से विद्युत दर निर्धारित कर दी है । जिससे मिशनरी पर बकाया विद्युत दर अधिक हो गया है, जिसका जल संस्थान गढ़वाल को भुगतान करता है, किन्तु धनाभाव के कारण जल संस्थान गढ़वाल विद्युत विभाग का भुगतान नहीं कर पा रहा है । जिसे मिशनरी ने ट्यूब बैल से पेयजल उपलब्ध कराना बंद कर दिया है । जिसके फलस्वरूप भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ।

मैं पेयजल संकट के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में ला रहा हूं । पेयजल संकट को दूर करने के लिये शासन को शीघ्र निर्देश दिया जाय ।]

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम के तीनों कारखाने डाला, चुर्क, चुनार के कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे घाटे के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[मान्यवर, पिछली सरकार ने सीमेंट निगम के तीन कारखाने डाला, चुर्क, चुनार को डालमियां ग्रूप को कौड़ी के मोल बेच दिया है इससे निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी ।

डाला फैक्टरी में सरकार एवं पुलिस की मदद से डालमियां कब्जा करने गये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिप्पणी-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शांति पूर्ण मजदूरों के धरने पर गोली चलाकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दिया तथा सैकड़ो घायल हो गये । आज भी डाला फैक्टरी बंद है ।

इस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मा० मुख्य मंत्री से मिला था और ज्ञापन भी दिया ।

मैंने स्वयं 13.7.91 को मा० मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया । आज भी वहां आतंक व्याप्त है । इसलिये इसकी न्यायिक जांच, कराने तथा इस सौदे को रद्द करने व दोषी लोगों को सजा देने की मांग करता हूं । डाला के मजदूर विधान सभा के सामने 5.8.91 से धरना दे रहे हैं ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनकी ग्राह्यता पर संबंधित सदस्यों को बुलवाने के लिए बुलाया गया था, परन्तु कोई भी माननीय सदस्य अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ । उपर्युक्त समस्त सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत न आने के कारण मैं इनको अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम में स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा 1986-87*

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, को भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) नियमावली 1991**

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि० का० -2 896/ग्यारह -7 (42)-86 उत्तर प्रदेश अधि० -15 /48 नियम संख्या -1-91, दिनांक 5 जुलाई, 1991 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1991 जो उत्तर प्रदेश बिक्री कर एक्ट 1948 की धारा 4-क की उपधारा (2) के उपखंड (घ) एवं उक्त एक्ट की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड के

* छापा नहीं गया।

** छापा नहीं गया।

अधीन बनाई गयी है को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, 1985-86 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, 1986-87†

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1985-86 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का एकादश प्रतिवेदन एवं लेखे 1984-85 तथा द्वादशम् प्रतिवेदन एवं लेखे 1985-86†

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1984-85 तथा द्वादशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 1989 एवं वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे 1987-88

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) 1989 की संख्या 6, वर्ष 1987-88 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव
(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

[कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 2 अगस्त, 1991 में सदन के वर्तमान सत्र के दिनांक 6 अगस्त, 1991 से 13 अगस्त, 1991 तक के उपवेशनों के अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप मे रखे जाने की सिफारिश की है :–

अगस्त 1991

6 मंगलवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन) ।
5.00 बजे अपराह्न

(2) निम्नलिखित विधायी कार्य :–
(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।
(ख) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

7 बुधवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन) ।
(2) 5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

8 गुरूवार (1) विधायी कार्य (आधा दिन)
(2) वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण-आधा दिन ।

9 शुक्रवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अंतिम दिन) ।

टिप्पणी–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10 शनिवार] अवकाश नहीं होगी ।
11 रविवार]

12 सोमवार (1) अमरकारी दिवस (अमरकारी संकल्प) (आधा दिन) ।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन) ।

(3) नियम 103 के अंतर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना तथा उस पर आधे घंटे की चर्चा :—

"इस सदन का निश्चय मत है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।"

13 मंगलवार (1) अमरकारी दिवस (अमरकारी विधेयक) (आधा दिन)।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन) ।

(3) नियम 103 के अंतर्गत श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :—

"यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर जनपदों को मिलाकर, "पूर्वांचल" नाम से एक पृथक प्रदेश गठित किया जाय ।"]

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के प्रस्ताव के संबंध में, जो सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दी गयी है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*छापा नहीं गया।

नोट :- * दिनांक 9-8-91 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा हुआ है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991*

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991*

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 9 सूचनायें चर्चा हेतु की गयीं श्री ऊदल की सूचना दिनांक 30/31 जुलाई, 1991 की रात्रि में तीर्थयात्रियों की एक बस अलकनंदा नदी में गिर जाने से लगभग 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा,

---

* छापा नहीं गया ।

नोट-* दिनांक 9-8-91 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा हुआ है।

श्री राम आसरे वर्मा, श्री पवन कुमार पांडेय, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, मुनव्वर हसन की सम्पूर्ण प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ के उपरांत सरकारी कर्जों की वसूली तथा गन्ना किसानों के बकाय मूल्य का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री सुरेश प्रताप गांधी की सिकंदराराऊ, अलीगढ़ में बलपूर्वक अबोध शिशुओं का अपहरण किये जाने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री खालिद गौरी की दिनांक 4, 5 अगस्त, 1991 की रात्रि में जेल के अंदर अभियुक्त श्री कुंवर की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री नरेश अग्रवाल तथा सुरेन्द्र नाथ की जगदीशपुर स्थित खाद के कारखाने के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिये जा रहे धरने के संबंध में है । छठी सूचना श्री रामगोविंद चौधरी व श्री बलराम यादव की जनता की मांगों के संबंध में प्रदर्शन तथा धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री छोटे लाल, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री हरदेव सिंह, व श्री रेवती रमण सिंह, श्री भारत सिंह रावत, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अकबर की पीलीभीत जनपद में 11 सिख तीर्थ यात्रियों की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या किये जाने के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) की आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । नवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा व श्री विजयपाल सिंह की आगरा में किसानों की फसलों के लिये जलपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोलने के लिये तैयार नहीं है इसलिये सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

(शोर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

***श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–**

मान्यवर, मैं श्री राम प्यारे शुक्ल द्वारा रखे गये प्रस्ताव "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 31 जुलाई, 1991 को दिया है कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" का समर्थन करता हूं । मान्यवर, ...(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराहन 5 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 5 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 5 बजे सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 2 अगस्त 1991 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, अभी विधान सभा की कार्यवाही में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था । कांग्रेस दल के विधायक श्री रामपाल वर्मा जी के भाई की मृत्यु के प्रकरण पर हुआ था । इसमें कुछ माननीय सदस्य उत्तेजित हो गये थे । मेरा यह निवेदन है कि आप कांग्रेस विधायक दल के नेता और एक दो प्रमुख सदस्यों को बुलाकर अपने कक्ष में बातचीत कर लें, ताकि यह प्रकरण समाप्त हो जायेगा ।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात की जरूर प्रार्थना करता हूं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से और प्रतिपक्ष के सम्मानित नेताओं से कि यह सदन सुचारु रूप से चले, यहां पर खुलकर चर्चा हो, खुलकर वाद-विवाद हो । जनहित के जितने मामले यहां पर आते हैं, जितनी समस्यायें आती हैं, प्रतिपक्ष को पूरा-पूरा अधिकार है कि जनहित से जुड़े मामलों पर जोरदार ढंग से प्रकाश डालें और शासन की कमियों पर प्रकाश डालें । सरकार उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देगी और हम वह जानें जो हमारी जानकारी में न आ रहा है। हम इसको प्रतिपक्ष का सहयोग मान रहे है और इसको एक स्वस्थ रूप में लेंगे । जिस संदर्भ में आपने निर्देश दिया है, मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से आज ही सदन उठने के बाद बातचीत करने के लिये तैयार हूं । मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले ।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

यह पहले ही कह देते तो सदन ठीक से चलता ।

श्री कल्याण सिंह–

इतने सौहार्द रूप में पहले अपनी बात कह देत तो पहले ही मान लेता ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने बुलन्दशहर में डी०पी० यादव की कुर्की के बारे में बुलन्दशहर की जनता द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गयी गोलीवर्षा से मरे हुये दो व्यक्तियों के संबंध में सूचना दी थी । उस समय अव्यवस्थित सदन होने के कारण बहस नहीं हो पायी। न हम आपकी व्यवस्था सुन पाये न आप हमारी बात सुन पाये, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कल किसी अन्य नियम के अंतर्गत आप इस प्रकरण से संबंधित सूचना दे देंगे तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप हमारी बात सुन नहीं पाये । मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में आप हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात का उत्तर देते समय मैंने कह दिया कि कल किसी अन्य नियम में उठा लेंगे तो उचित कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री लाल जी वर्मा—

मान्यवर, मेरे विशेषाधिकार संबंधी मामले में आपने व्यवस्था यह दी थी कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता नहीं। चूंकि मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया अतः मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जब सामान्य रूप में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं लिये जाते। इधर एक दो वर्षों से लिये जाते रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को दी जानी चाहिये, उसके बाद अन्य बातों को उठाना चाहिये।

श्री लाल जी वर्मा—

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोलने का अवसर तो दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर बहस नियम से देखा जाय तो विशेषाधिकार में आपका प्रश्न नहीं आता, फिर भी परीक्षण करा लूंगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री भरत सिंह—

मान्यवर, बलिया जनपद स्थित जयप्रकाश नगर गांव गंगा नदी के कटान से कट रहा है, उसमें जयप्रकाश नगर का एक टोला टिपुरी है, वह गंगा में 6 माह पहले विलीन हो चुका है जो कुछ बचा था वह अब बिल्कुल विलीन हो गया है और भदन टोला कट रहा है। मान्यवर, अगर कटान को अविलम्ब रोकने का इन्तजाम नहीं किया गया, तो हजारों लोग बेघर हो जायेंगे और जयप्रकाश जी के घर जाने वाला रोड कटान के खतरे में आ जायेगा। मान्यवर, एक करोड़ से अधिक रुपया इस जयप्रकाश नगर को बचाने के लिए स्वीकृत होकर आया हुआ है, जो कि लखनऊ से रिलीज नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मैंने अपने यहां सूखे से उत्पन्न भीषण स्थिति के संबंध में सूचना दी थी, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जाय। अभी आगे सूखे पर चर्चा होगी, उसमें आपको अपनी बात कहने का अवसर रहेगा।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैंने नियम 52 के अन्तर्गत गन्ने के संबंध में नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम आगे बढ़ चुके हैं, इसको आप दूसरे नियम में अगले दिन दे दीजिएगा ।

(व्यवधान)

भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विधान भवन के परिसर में लगी प्रतिमा की सुरक्षा की मांग

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जो विधान भवन परिसर में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी हुई है, उसमें जो ऊपर से छज्जा लगाया गया है, वह टूट गया है, जिससे लगातार पानी बरसने से मूर्ति खराब हो रही है और सरकार उदासीन है, उसकी हिफाजत नहीं कर रही है । सरकार उसकी हिफाजत करे ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

उस मूर्ति पर चर्चा क्यों न हो, वह मूर्ति खराब हो रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । इस मूर्ति में करोड़ों किसानों की भावना जुड़ी हुई हैं ।

***श्री हरेन्द्र सिंह–**

मान्यवर, यह माननीय यादव जी ने जो मामला उठाया है, यह माननीय मुख्य मंत्री से संबंधित नहीं है । यह मूर्ति विधान सभा परिसर में है, इसलिए यह आपसे संबंधित है । माननीय चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के ही नहीं, वरन् देश के करोड़ों-करोड़ों किसानों और गरीबों के नेता थे, विधान भवन के अन्दर उनकी मूर्ति पिछली सरकार द्वारा हम लोगों के अनुरोध पर स्थापित की गयी थी, विधान भवन की सीमा के अन्तर्गत स्थापित मूर्ति की रक्षा, सुरक्षा का दायित्व अध्यक्ष होने के नाते आप पर है । आप से आग्रह है कि उसकी पूर्ण सुरक्षा की जाय । चूंकि मूर्ति पर होने वाले एक भी आघात मूर्ति पर ही नहीं, हम जैसे करोड़ों-करोड़ों चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों के सीने पर होता है । यह मूर्ति प्रदेश की राजनीतिक, ईमानदारी, कर्त्तव्यपरायणता का प्रतीक है, किसानों और गरीब जनता का प्रतीक है । मान्यवर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी पूर्ण सुरक्षा की जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उस मूर्ति के बारे में आपको ज्यादा चिन्ता होनी चाहिये, क्योंकि वह आपके विधान सभा परिसर में लगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में वह बात आ गयी है, वह उसकी उचित व्यवस्था कर देंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उस मूर्ति के बारे में हमारा एक निवेदन सुन लें । उस मूर्ति से माननीय मुख्य मंत्री से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह विधान सभा सचिवालय के परिसर में लगी हुई है विधान सभा सचिवालय परिसर में कोई भी क्रिया-कलाप होगा, उसका मतलब वि .ान सभा सचिवालय से है, जिसके आप मुखिया हैं, इसलिए आप घोषणा करें कि उसकी हिफाजत कराई जायेगी ।

(व्यवधान)

वित्त नियोजन संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं निवेदन करना चाहता हूं जरा फिर से बता दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, वह विधान सभा सचिवालय परिसर में लगी हुई है, इसलिए उसके प्रति जिम्मेदारी आपकी होती है, मुखिया आप हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है । मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर इस प्रश्न को टाला जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उसमें हो क्या गया है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

उसमें कुछ टूट फूट हुई है । मान्यवर, आप सरकार को ही निर्देश दे दें, सरकार उसे ठीक करवा दे ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जो विधान सभा सचिवालय परिसर में लगी हुई है, उसको ठीक कराने में कितना समय लगेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी हमारे सम्मानित नेता रहे हैं, उनके नाम को लेकर कुछ चर्चा हो रही है मूर्ति के बारे में । मान्यवर, माननीय वर्मा जी से, माननीय राणा जी से हम लोग बैठ कर बात कर लेगें जो मूर्ति है उसका पूरा सम्मान है, कोई मूर्ति बन रही होगी उसके बारे में अकस्मात पूरे संदर्भ की पूरी जानकारी हमको नहीं हो पा रही है और न मुख्य मंत्री जी को ही हो पा रही है । मान्यवर, यहां पर उनके नाम पर किसी बात को चर्चा का विषय बनाना उनके सम्मान के प्रतिकूल है ।

(व्यवधान)

(मद संख्या 18 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक बात रह गयी है । सदन के सम्मानित सदस्यों की एक जिज्ञासा है, वह यह है कि जब सदन अव्यवस्थित था तो जो पिछले यहां पर मद लिये गये थे उनके बारे में आपका निर्णय हो तो गया लेकिन जिस तरह से नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी गयी, कोई नहीं समझ पाया कि किसकी स्वीकार हुई किसकी नहीं स्वीकार हुई । इस तरह से 56 की सूचना दी गयी इसमें भी किसकी सूचना पर क्या हुआ, नहीं मालूम हो पाया क्योंकि यह सब अव्यवस्थित सदन के समय में ही हुआ । उसी के बारे में माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । उसी के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दें तो सारी जिज्ञासा समाप्त हो जायेगी

एक सदस्य–

उस समय आप लोग सुन ही नहीं रहे थे तो कैसे सुनाई देता ?

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(मद संख्या 18 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौधरी खड़े नहीं हो रहे हैं अब मैं मद संख्या 19 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1991

***उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा 3 संशोधन प्रस्तावित हैं पहला तो यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 5 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का प्रविधान है । इस विधेयक के द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के पश्चात यह प्रविधान प्रस्तावित है कि हंडिया डिग्री कालेज, हंडिया जनपद इलाहाबाद जो कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है को इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से निकालकर पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर से संबद्ध किया जाय । भौगोलिक दृष्टि से हंडिया डिग्री कालेज हंडिया की निकटता कानपुर जनपद की तुलना में जौनपुर जनपद से अधिक है । अतः छात्रों के हित में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर इस कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र से निकालकर पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से संबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह पढ़ कैसे रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कार्यसूची के अनुसार इसको चलवाइये पहले उसको पुनर्स्थापित करके फिर चलवाया जाता है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, दूसरा यह है कि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 7 के अनुसार कुलपति की पदावधि 3 वर्ष है और उसे स्वेच्छा से पद त्यागने का अधिकार है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसको पढ़ने का प्राविधान नहीं है संकल्प के पक्ष में अपनी बात रखें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, ऐसे मंत्रियों को निकालकर बाहर कर दीजिये जो दो शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, इनको कहां-कहां से रख लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, पहली बार इंटर कालेज का टीचर यूनिवर्सिटी/कालेज के टीचर को पढ़ाने आया था ।

एक सदस्य–

मान्यवर, ऐसे मंत्री को हटाया जाना चाहिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसमें इस तरह का प्राविधान था कि 3 महीने का नोटिस दे तो त्याग पत्र दे सकता है । इससे कम समय में भी त्याग पत्र दे सकता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यहां भाषण पढ़ने की परम्परा नहीं है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बिना पढ़े हुए अपना भाषण करें ।

(व्यवधान)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसमें एक संशोधन यह था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति की बैठकें की गयी किन्तु चयन समिति की संस्तुतियों को कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी । जब कार्य समिति नहीं बुलायी जाती है तो शिक्षकों को कठिनाई होती थी । उपबन्धों के अनुसार सारे मामले कुलाधिपति को

संदर्भित हो जाते हैं उनके पास आ जाते हैं । इतनी अधिक संख्या में कुलाधिपति को संदर्भित मामलों का निस्तारण एक समस्या उत्पन्न कर सकता है और इससे कठिनाई हो सकती है । इस तरह से कुलपति महीने के अन्दर अपनी कार्य समिति को नहीं बुलाता है तो कुलाधिपति निर्देश दे सकता है कि समय के अन्तर्गत कार्य समिति को बुलाया जाय । जिससे मैटर पेंडिंग न रहें । यह तीन संशोधन इसमें हैं।

श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा कुछ समझ में मेरी आया नहीं ।

(व्यवधान)

***श्री विजय सिंह राणा–**

मान्यवर, न मेरी समझ में आया न आपकी समझ में आया होगा न सामने बैठे मंत्रियों को समझ में आया होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

दैनिक प्रतिदिन अखबार जो लखनऊ से छपता है उसमें एक खबर छपी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री ऊदल जब हरिजन अत्याचार के संबंध में सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़े हुये.....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अखबार की खबर पर यहां बहस नहीं हो सकती है ।

***गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, उस तरफ बैठे हुये माननीय सदस्य बीच बीच में कोई बात उठा देते हैं जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है, उनके लिये भी परिपाटी रहे । बीच बीच में उठकर अपनी बात न कहें इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, जो यहां पर बात उठी, जो लखनऊ से प्रतिदिन अखबार निकलता है उसमें खबर छप गयी कि जब मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ तो विरोध पक्ष के लोगों ने मुझे चोर चोर कहना शुरु किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, अखबार वालों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे विरोध पक्ष की बात हो या सरकारी पक्ष की बात हो जो सत्य बात होगी वही मैं कहूंगा ।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट)

[3 बजकर 15 मिनट]

...मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अखबार में लिखा हुआ है, तो आप अखबार वालों को बुलाकर उन्हें प्रताड़ित करें या अपनी तरफ से नोटिस जारी करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहा पर अखबार वालों को लेकर इस सदन का कीमती समय बरबाद किया जा रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है । माननीय ऊदल जी जैसे वरिष्ठतम सदस्य के बारे में कोई आदमी चोर-चोर कहे तो यह गलत बात है। मैं यह समझता हूं कि कम से कम विरोध पक्ष के किसी माननीय सदस्य की ऐसी कोई मंशा नहीं होगी ।

(व्यवधान के मध्य)

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर; मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । आप कृपा करके प्रक्रिया नियमावली का नियम 300 (2) देखें इस संबंध में मैं आपका ध्यान औचित्य के प्रश्न की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है कि "औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।" जो माननीय अग्रवाल जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर निर्णय देने का अधिकार आपका है । लेकिन जो एक विषय चल रहा है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो मेरी प्रार्थना है कि जो इस प्रकार के वाक् स्वतंत्रय का दुरुपयोग करते हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे सहमत हूं । यह बात गलत है । जब एक विषय चल रहा हो तो दूसरा विषय नहीं उठाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं । हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और हमें यदि अपनी बात कहने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा तो मजबूरन हम सदन को चलने नहीं देगे। मान्यवर, मैं कभी नियमों के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल चुके उसके बाद ही मैंने आपसे अनुमति मांगी । मान्यवर, यह सही है कि जब कोई विषय चल रहा हो तो बीच में नहीं खड़े होना चाहिये ।

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 300(2) के अंतर्गत एक व्यवस्था मांगी थी। मैं मानता हूं कि वह नियमों के ज्ञाता हैं लेकिन अध्यक्ष द्वारा बोलने की अनुमति के बाद यह कहना कि गलत विषय उठाया गया है अध्यक्ष की अवमानना है। श्रीमन आपकी अनुमति से माननीय ऊदल जी बोले और उन्होंने इस सदन में अपनी पूरी बात कही। श्रीमन्, कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न आपकी अनुमति से उठा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

हम अखबारों में छपी हुयी बात को संज्ञान में नहीं लेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया कार्यसूची के अनुसार कार्य करने दें। अगर आप इस पर मेरी व्यवस्था चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि यह नियम 300(2) के अंतर्गत उठाया नहीं जा सकता है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विधेयक के संबंध में जो बातें कहीं हैं वह न तो हमारी समझ में आयी और न मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आयी होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसे दोबारा पढ़वा दें और यह भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने शब्दों में ही कहें। लिखा हुआ न पढ़ें।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने अभी-अभी अपना विधेयक रखा है पढ़ने के बाद उन्होंने संक्षेप में उसके विषय में बताया भी है।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने मद संख्या–19 के अंतर्गत विचार करने के लिये निवेदन किया है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने एक तरफा सदन में विधेयक प्रस्तुत करा दिया और मुझको अब बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप खड़े नहीं हुये। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री राम गोविन्द चौधरी के पुनः खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं भी यह समझता हूं कि यहां उचित परम्परा रही है और आज भी उसी का पालन होना चाहिये। राम गोविन्द चौधरी खड़े हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर मिलना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको संशोधन प्रस्तुत करने के

लिये समय देने का कष्ट करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि जो कार्यवाही आप चला रहे हैं, वह आप अध्यक्ष की तरह से नहीं चला रहे हैं । कार्यसूची के हिसाब से पहले आपको हमको पुकारना चाहिये, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पुकारा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका नाम पुकारा था, संशोधन के लिये । लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, आप तो पीछे बात करने में लगे हुये हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लीजिये मेरा नाम कहीं नहीं है आपने तो सीधे उच्च शिक्षा मंत्री को बुलवा लिया है । जब कि अननुमोदन का प्रस्ताव मेरा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मद संख्या-18 पुकारा, आपका नाम पुकारा, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप सारा यूं ही पास करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो शुरू से आप लोगों के सहयोग की बात कर रहा हूं । जिनका संकल्प है, वह खड़े होंगे, तो मैं अवश्य उनकी बात सुनूंगा, उनको मौका दूंगा । लेकिन जब कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अब मैं अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं । यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य....।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इस तरह आप कार्यवाही नहीं चला सकते । कार्यसूची में जब संशोधन दिया गया है, तब मुझको बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, किसी भी विधेयक पर अलग से भी तो बोला जा सकता है । मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय क्या बात कही, उसको हम लोग सुन नहीं पाये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने श्री राम गोविंद चौधरी जी का नाम लिया और वे खड़े नहीं हुये,

उसके बाद उसमें मेरा नाम था आप मेरा नाम पुकारते, यदि मैं भी खड़ा न होता तो तब आप संशोधन नहीं प्रस्तुत करने देते ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये । इसलिये श्री राम गोविंद चौधरी जी नहीं खड़े हुये तो आप श्री श्याम नारायण तिवारी जी का नाम पुकारते, यदि वह भी नहीं खड़े होते तो आप श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम पुकारते । आप कार्यवाही भी देख लें । आपने ऐसा नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री तिवारी जी, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली । मैं कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

यदि आप अपनी भूल महसूस कर रहे है तो हम भी आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

***श्री राम गोविन्द चौधरी–**

मान्यवर, सवाल गलत परम्परा का है । मान्यवर, यदि आपने कार्यसूची देखी होती तो आपने देखा होता कि मैंने अननुमोदन का संकल्प रखा है । आप सबसे पहले मुझे बुलाते । आपने कहा कि मैंने आपका नाम पुकारा परन्तु आप खड़े नहीं हुये । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया । फिर आपने देखा होता कि संशोधन में भी मेरा नाम पहले पर अंकित है । आप मुझे पुकारते, परन्तु आपने ऐसा नहीं किया । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपना भाषण दिया और आपने विधेयक को पारित कर दिया । यह एक गलत परम्परा है । इस तरह से सदन नहीं चलता है । इस तरह से पहले कभी भी विधेयक पारित नही हुये हैं । मैं जानता हूं कि आप नये हैं क्षमा करेंगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, सचिव, विधान सभा को नियमावली, अध्यक्षों द्वारा दिये गये पूर्व में निर्णयों आदि के बारे में आप को जानकारी करवा देनी चाहिये । जिससे सदन सुव्यवस्थित चल सके । यदि संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी बात को गलत कह दें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौधरी जी मैं उस पर नहीं आना चाहता हूं कि आवाज लगाने पर आप उठे या नहीं उठे, परन्तु मेरा एक निवेदन है कि थोड़ा सा आप सभी लोग सदन में सतर्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे । थोड़ा शांति बनाये रखें । मैं बहुत पारंगत हूं, ऐसी बात नहीं है आप मुझे क्षमा करते रहें हैं । कभी चूक हो सकती है, कोई चीज ध्यान से उतर सकती है । माननीय श्री प्रमोद कुमार जी ने ध्यानाकर्षण किया और मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली । विधेयक पर चर्चा शुरू हो गयी है , इसलिये आप श्री वर्मा जी को बोलने दीजिये ।

(शोर/व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, यह एक काला विधेयक है । इसमें व्यवस्था है कि कुलाधिपति, कुलपति को जब चाहे हटा दें, विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जब मेरा प्रवर समिति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो चर्चा किस बात पर होगी ?

श्री अध्यक्ष–

"इस पर विचार किया जाय ।" यह स्वीकार हो गया तो वह बात समाप्त हो गयी । आप आगे बढ़ें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, गैर संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत किया है तथा नियमावली के विपरित भी ।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

भारत एक लोकतांत्रिक देश है राज्य की शक्तियां अधिक से अधिक लोगोंके हाथ में देने की कोशिश होनी चाहिये लोकतंत्र में अधिक अधिकार जनता के हाथ में दिये जाते हैं जो सरकार की शक्तियां हैं उनको अलग-अलग विभाजित कर देना चाहिये । इस विधेयक में कुलाधिपति में सारी शक्तियां निहित कर दी गयीं हैं । विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, वह अपना शासन स्वयं चलाती है ।

(घोर व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने कुलाधिपति में सारी शक्तियां निहित कर दी हैं । इस विधेयक में इन्होंने कहा है कि "जब चाहे नोटिस देकर तीन महीने कुलाधिपति, कुलपति को निलंबित कर सकता है", तो दूसरा कर दिया है कि "जब चाहे" कुलाधिपति को कुछ समय की नोटिस देकर कुलपति को निकाल देंगे । श्रीमन् यह विश्वविद्यालय का सरकारी करण करने जा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

यह एक निश्चित तथ्य है कि जिन-जिन चीजों का सरकारीकरण हो जाता है । तो वहां पर निश्चित रूप से अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है । विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है विद्वान आदमी होता है । ऐसे कुलपतियों को कुलाधिपति पर दबाव देकर बेइज्जत तरीके से निकाल देंगे, यह कैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यह तानाशाही रवैया है । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, जो कमियां होंगी उस पर विचार-विमर्श कर लेंगे । प्राध्यापकों को बुलाइये, सारे कुलपतियों को बुलाइये, सब लोग बैठ करके विचार करें और बैठक करके, आपस में बातचीत करके, उसके बाद एक अच्छे विधेयक की शक्ल में इसे लाइये जिससे कि विश्वविद्यालय ठीक तरह से अपना स्वामित्व बरकरार रखते हुये अच्छी तरह से काम कर सके । दूसरी बात यह कि हंडिया डिग्री कालेज जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है को पूर्वांचल विश्व विद्यालय से सम्बद्ध करने जा रहे हैं । यह गलत है । यहां सदन में बार-बार मांग होती रही हैं कि अमुक कालेज को अमुक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दीजिये और अमुक कालेज को अमुक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दीजिये, लेकिन यह सरकार तो कुलपतियों को बना कर सारे डिग्री कालेजों को अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर देना चाहती है, यह नहीं कि कालेजों के आचार्य प्राचार्यों से बैठक करके राय करें, मशविरा करें आचार्यों प्राचार्यों से इस संबंध में राय लेनी चाहिये । आप यह न करके सीधे विश्वविद्यालयों से कालेजों को सम्बद्ध करना चाहते हैं आपका मनमाने तरीके से कालेजों को विश्व-विद्यालयों से अटैच कर देना, बंद करें। आप नहीं जानते हैं कि उनकी कठिनाई क्या है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवधान न डालें । अभी माननीय चौधरी जी बोल रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

सत्ता पक्ष के लोग हमारी बात को नहीं सुनना चाहतेहैं । अगर आप इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हमारी तरफ के लोग अपनी बात को कैसे कह पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के संबंध में चयन समिति बनी थी । चयन समिति की कार्यवाही पूरी हो गयी लेकिन सलाहकारों ने कोई काम नहीं किया । इसलिये सारी शक्ति आप कुलपतियों को दे रहे हैं । यदि सलाहकार काम नहीं करतेहैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें न कि आप सारी शक्तियां कुलाधिपति को दे देंगे ? यह कहां का न्याय है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और वह समिति इसके संबंध में लोगों की राय को मांग ले । समिति की रिपोर्ट आ जायेगी और लोगों की राय भी आ जायेगी तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा विधेयक हो सकता है

इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार—

अब आप क्या बोलेंगे, विधेयक तो पास हो चुका, यह तो पोस्टमार्टम हो रहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इसे आपने पास करा दिया है, अब आप अगला आईटम ले लें ।

***श्री श्याम नारायण—**

मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा स्वायत्तता पर हमला हो रहा है । आज जब दुनियां में स्वायत्तता के लिये, जनवादी अधिकारों के लिये आन्दोलन हो रहे हैं तो हमारे यहां यह लोग इस विधेयक के द्वारा स्वायत्तता पर हमला करें और इस विधेयक को जल्दी-जल्दी में पास करा दें, यह न्याय की बात नहीं है । मैं तो निवेदन करूंगा कि इस पर विचार होना चाहिये । इसलिये जैसे कि पहले आशंका थी और हम आशंकित थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में भा०ज०पा० के लोग राम नाम का फर्जी धार्मिक उन्माद फैला करके आये हैं और तानाशाही कायम कर रहे हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर व्यवधान)

...अगर इसी तरह से यह भी करेंगे तो यह नागरिकों के अधिकारों की हत्या करेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि माननीय गुप्ता जी बैठे हैं, माननीय कल्याण सिंह जी बैठे हैं और सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, 5 वर्ष राज्य करें, यह हमारी आकांक्षा है । आप अगर ऐसा करेंगे तो जल्द ही चले जायेंगे । आप भी उसी रास्ते से गुजरेंगे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश गुजर रहे हैं । अगर आप उस रास्ते पर न चले होते तो इस तरह के विधेयक को इतनी जल्दी में पास करने की कोशिश न की होती । मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि इस को आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जिससे इस पर पूरी तरह से विचार हो जाये, हालांकि उसको आप पास कर चुके हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो इधर के लोगों को तो बोलने का अवसर दे दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया । तो आप उधर से भी बुलवा दें ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

यह तो आप पास करा चुके हैं । अगर पास नहीं करा चुके हैं, तो मैं बोलूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंद 19 के अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया है कि इस पर विचार किया जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या संकल्प पास हो चुका है या नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं पास हुआ है । विचार किया जाये, यह पास हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की है । मान्यवर, जिन त्रुटियों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने संकेत किया है, उन कमियों के साथ ही साथ बहुत सी और कमियां हैं बहुत सी त्रुटियां हैं, जो इस विधेयक के प्रवर समिति में जाने से दूर हो जायेंगी । जैसे कुलपति की नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति को मिला है, या अन्य कोई कार्य कलाप हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है, अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाये, तो उन सारी चीजों पर विचार हो जायेगा और गहराई से विचार हो जायेगा जो भी त्रुटियां होंगी, उनके बारे में गहराई से विचार हो जायेगा और ठोस निष्कर्ष निकलकर सामने आयेंगे । इसलिये एक प्रवर समिति बना दी जाये, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दे दे और जो बार-बार संशोधन विधेयक आ रहे हैं, वह नहीं लाने पड़ेंगे और संशोधन विधेयक लाने का जो सिलसिला है, वह बंद होगा और विधेयक के हर पहलू पर सुझाव आ जायेंगे और उन पर विचार हो जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न उठाया है....

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का प्रश्न नहीं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, अभी माननीय राम गोविन्द चौधरी ने यह कहा कि हंडिया को जौनपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हंडिया जौनपुर से निकट है, इसलिये ऐसा किया जा रहा है । मान्यवर, कुलाधिपति को अधिकार दिये जाने के संबंध में कहा गया, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी विश्वविद्यालय का कुलपति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको रोकने के लिये कुलाधिपति के पास अभी तक कोई शक्तियां नहीं थीं, इसी लिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी का (व्यवधान) इनकी सरकार का स्पष्ट मत है कि बिना किसी कारण के किसी कुलपति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी । अगर कोई व्यक्ति कानूनी दायरे से बाहर जाता है तो चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । हमारा स्पष्ट मत है कि विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये ।

श्री रामलखन—

इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मत बताया लेकिन सरकार के क्या मत है ? यह

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात कही लेकिन यह किसी तरह से उचित नहीं है मेरा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति का प्रस्ताव **अस्वीकार किया जाय और** इस पर जो संशोधन आये हैं उनको निरस्त किया जाय । यह विधेयक पास किया जाय ।

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 दिनांक 21 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 3 और 4 दिनांक 8 मई, 1990 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियम

"(1-क) (क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियम करे, जिला इलाहाबाद में स्थित हंडिया डिग्री कालेज के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कानपुर विश्वविद्यालय के बजाय पूर्वांचल विश्वविद्यालय करेगा और तदुपरांत अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी ।

(ख) इस उपधारा के अधीन अधिसूचना में ऐसे अन्य संक्रमण कालीन, अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्धों की व्यवस्था की जा सकती है जिन्हें राज्य सरकार (क) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझें।" राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 5 का संशोधन

धारा 12 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(12) यदि कुलाधिपति की राय में जानबूझ कर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) कुलाधिपति को उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विधाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुये, कुलपति को निलंबित करने की शक्ति होगी और ऐसे निलंबन की अवधि में कुलपति को वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये अन्यथा वह उपधारा (8) के अधीन हकदार था।"

धारा 31 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (8) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"(कक) जहां कार्य परिषद् की खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने की विफलता, कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो वहां कुलाधिपति ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें, कार्य परिषद् से कोई विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकते हैं और कुलपति को उस प्रयोजन के लिये कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निदेश दे सकते हैं:

परन्तु–

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उनका विनिश्चय अंतिम होगा,

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेंगे और उनका विनिश्चय अंतिम होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1991

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी,–

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपलबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे,

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, सन् 1991

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन कुलाधिपति द्वारा दिया गया किसी कुलपति की नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश, मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (13) जैसी कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के अधीन जांच को अनुध्यात करते हुये कुलपति को निलंबित करने का कुलाधिपति द्वारा दिया गया आदेश समझा जायगा और उसी रूप में प्रभावी होगा मानों इस अधिनियम की धारा 3 के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) (संशोधन) अध्यादेश 1991 तथा उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991

***श्री सुरेश प्रताप गांधी–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) (संशोधन) अध्यादेश 1991 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, भारतीय चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश की संस्था है जो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के विकास के लिये और उसके प्रसार के लिये उत्तरदायी है । इसके निर्वाचन के लिये कार्यवाही पूरी होनी चाहिये और जो प्रतिनिधि नाम निर्देशित होते हैं उनकी कार्यवाही भी पूर्ण होनी चाहिये ताकि इस बोर्ड का विधिवत गठन हो । लेकिन इस विधेयक को लाकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है । यह सरकार बोर्ड को सुपरलीड करके चाहती है कि नियंत्रक की नियुक्ति की जाय जिससे जनतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है । भारतीय चिकित्सा पद्धति वास्तविक चिकित्सा पद्धति है जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति आती हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियां बाहरी हैं । हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति की इससे उपेक्षा हो रही है मैं समझता हूं कि यह जनतांत्रिक परंपरा का हनन है । भारतीय चिकित्सा बोर्ड के द्वारा हमारे बैद्य और हकीमों का, जो पैक्ट्रिस करते हैं, पंजीकरण कराया जाता है लेकिन उसके कार्यालय में मैंने देखा है कि पंजीकरण के लिये जो प्रार्थनापत्र आते हैं वह एक एक साल से लंबित पड़े हैं उनका निस्तारण नहीं हो रहा है । यदि निर्वाचित बोर्ड होता तो वह उसके लिये उत्तरदायी होता बोर्ड में सबके प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं । तो मैं चाहता हूं कि निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन करके तथा जो नामजद सदस्य हैं उनको नामजद करके बोर्ड का गठन किया जाय । जो इसमें नियंत्रक की व्यवस्था की गयी है वह जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है ।

मेरा सुझाव है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है । यह विधेयक वास्तव में जनतांत्रिक व्यवस्था का हनन करता है जबकि जनतांत्रिक व्यवस्था कराई जाय । इस तरह अध्यादेशों द्वारा एक सार्वजनिक संस्थान में जो जनतांत्रिक पद्धति है, जनता के जहां निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके स्थान पर कंट्रोलर बिठाकर सरकारीकरण और एकाधिकार न किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम गोविन्द चौधरी आप बोलें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मंत्री जी से प्रस्तुत करवा दें तब हम बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । स्वास्थ्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डा० दिनेश जौहरी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाये"।

मान्यवर, हमारी सरकार यूनानी और आयुर्वेद का पूरा विकास और विस्तार करना चाहती है । जो हकीम और लुकमान सुसुप्त अवस्था में बैठें हैं उनका उसी तरह से हम विस्तार करना चाहते हैं जैसे कि एलोपैथी है और इसीलिये हम यह विधेयक लाये हैं । मान्यवर, पिछली सरकारों ने वर्षो वर्षो अध्यादेशों से काम चलाया । लेकिन हम आज से एक वर्ष बाद और दो वर्ष के अंदर यानि 28 अगस्त, 1992 तक इसके चुनाव करा लेना चाहते हैं चूंकि उसमें बड़ी रुकावटें थीं और इसीलिये पुरानी सरकारें इसे नहीं कर पायीं थीं। मान्यवर,51,863 वैद्य और 11,135 हकीम हैं तथा बड़ी भारी संख्या में स्टाफ है । नीम-हकीमों का हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे । 1939 में भारतीय चिकित्सा बोर्ड का गठन हुआ था । उसमें 5 मनोनीत सदस्य, एक अध्यक्ष मनोनीत हैं और 13 निर्वाचित

(इस समय 5 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठीसीन हुये)

सदस्य होते हैं । गठन के बाद 1972 से दूसरा चुनाव नहीं हुआ, इसलिये अध्यक्ष बैठे रहे और निर्वाचित सदस्य लोग शनैः शनैः समाप्त हो गये । जब निर्वाचन नहीं हो पाये तो अध्यक्ष ही रह गये । इसलिये पिछली सरकारों ने कंट्रोलर नियुक्त किया और उसके बाद बार बार अध्यादेश आते रहे लेकिन विधेयक नहीं बना पाये ।

इसलिये मौजूदा सरकार ने मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर तय किया कि आज इस विधेयक को पारित करने के दो वर्ष के अंदर इसके हम चुनाव करा सके और जैसी मा० सदस्य की भावना है उसके अनुरुप इसका विकास और विस्तार कर सकें । नया जो चिकित्सा बोर्ड होगा वह 28 अगस्त, 1992 तक काम करने लगेगा । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें मा० चौधरी साहब जो विचार देंगे वह साफ साफ देंगे जैसे हमने साफ-साफ विचार दिये हैं । अंत में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बोर्ड के गठन का अवसर दें जिसमें एक महीना भी कम करना उचित नहीं होगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेगें । मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके पहले माननीय शिक्षा मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें भी मैंने यह आशंका जाहिर की थी कि सरकारीकरण करने की लालसा इस सरकार में बढ़ती जा रही है । श्रीमन्, इतने बहुमत से यह सरकार जीतकर आई और शायद अभी इसकी साख जनता में होगी, फिर भी न जाने क्यों यह डर रहे हैं और समझते हैं कि यदि इसका चुनाव करा देंगे तो उसमें हार जायेगें । इसमें 13 सदस्यों का चुनाव होना है और 5 नामजद होगें । यह चुनाव न

कराकर कंट्रोलर नियुक्त करने जा रहे हैं, और यह कौन नियंत्रक होगा, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है ।

अच्छा होता कि माननीय जौहरी जी, स्वास्थ्य मंत्री, सबसे पहले यह बताते कि वह यूनानी, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को किस प्रकार जनता के लिये अधिक से अधिक हितकर और लाभप्रद बनायेंगे और इसके लिये वह क्या करने जा रहे हैं । और उनका लाभ देने के लिये कितनी दवाओं का अस्पतालों में यह प्रबंध कर देंगे । इसकी इनको चिंता नहीं हुई, लेकिन जो बोर्ड है, चुनाव के द्वारा अच्छा काम करता, उस पर कन्ट्रोलर स्थापित करने की ओर उनका ध्यान गया । इनको पहले यह देखना चाहिये था कि कितने नीम हकीम और अयोग्य डाक्टर्स भरे पड़े हैं जो दवा देते हैं पेट दर्द बंद करने की, किन्तु मरीज का सिर दर्द करने लगता है । इसकी चिन्ता स्वास्थ्य मंत्री को नहीं हुई, पहले उसकी चिंता हुई कि इस बोर्ड पर सरकार कब्जा क्यों न कर ले । यह ऐसा विभाग है जिसका इस समय अपना महानिदेशक तक नहीं है । महानिदेशक के ऊपर अध्यक्ष पद पर कोई परमानेन्ट अधिकारी नहीं है । इसके लिये लोगों की दौड़ धूप मची हुयी है कि हमको अध्यक्ष बना दो । मैं समझता हूं कि बोर्ड पर नियंत्रक लगा देना-यह निरंकुश विधेयक है । अच्छा यह है कि पहले आप आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को सुधारें, इनके अस्पतालों में दवाओं और डाक्टरों का उचित प्रबंध करें । आज यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अस्पतालों में न डाक्टरों की व्यवस्था है और न दवाओं का प्रबंध है । डाक्टरों की फौज पड़ी है, लेकिन उनकी वहां नियुक्ति नहीं हो रही है । इनमें फरमेसिस्ट भी नहीं है और कहीं कहीं पर स्वीपर्स ही दवा बांट रहे हैं । यह जो एलोपैथिक सिस्टम है, इसमें मंहगी दवायें मिल रही है और डाक्टर लोग अपनी-अपनी निजी प्रैक्टिश में व्यस्त हैं ।

इसलिये लोगों का रुझान आज आयुर्वेदिक , यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर हो रही है । अतः आप इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जिससे जो भी खामियां इसमें हैं, उनके बारे में समिति अपने उपयोगी सुझाव दे सके, और इसमें मात्र एक माह का समय मांगा गया है । आप दो साल में चुनाव कराने की बात करते हैं, और यह प्रवर समिति एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । आप एक अच्छे-कुशल डाक्टर और अच्छे आदमी हैं मरीजों की हालत जानते हैं, इसलिये इस विधेयक को वापस ले लें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पास न करके इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और इस पर पूरी चर्चा से विचार करके ही पास किया जाय । बड़ी जल्दी है सरकार को नियंत्रक नियुक्त करने की । मान्यवर, आप देख रहे हैं यह कहां से नियंत्रक लायेंगे और चिकित्सा बोर्ड के ऊपर रखेंगे । फार्मासिस्ट ट्रेनिंग करके बैठे हुये हैं । हर विधायक के कमरोंमें दो-दो चार-चार पड़े हुये हैं । तदर्थ नियुक्तियां हो रही है। पता नहीं कैसे और इस पर भी विचार नहीं हो रहा है कि उनकी नियुक्ति कैसी की जाय। उसके बारे में कोई सामयिक नियम बना लेते । आपको आये एक महीना हो गया है ।

आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप स्वायत्तता नष्ट नहीं करेंगे, तानाशाही कम कर देंगे। आपसे निवेदन है और आशा भी है कि आप ऐसे काम करें जिससे आप लोक प्रिय सरकार बना सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को प्रोत्साहन देने की बात कही। मान्यवर, इस और प्रोत्साहन देने का एक सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। यूनानी डाक्टर तृतीय श्रेणी चिकित्साधिकारी के रूप में पूरे प्रदेश में नियुक्त किये गये थे। कई महीनों से उनके वेतन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सेवायें अधर में लटकी हुयी हैं। मान्यवर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी यही स्थिति है। आप चिकित्सा स्वास्थ्य के विकास की जो बात कह रहे हैं इसी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। जहां तक चिकित्सा बोर्ड का प्रश्न है अगर नियंत्रक नियुक्त करनेके बजाय चुनाव करने की बात कहते तो सारा सदन उसको अच्छा समझता। सन् 1972 से लेकर अभी तक चुनाव नहीं करा पायें। जो बोर्ड उस समय गठित हुआ था उसके सदस्य भी एक-एक करके समाप्त हो गये हैं सिर्फ अध्यक्ष बच गये। एक अध्यक्ष को ले लें या नियंत्रक नियुक्त हो जाय। चुनाव की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करायी जाय। बोर्ड के क्रिया कलाप भी इस तरह के हों जिससे निष्क्रियता न आने पाय। उनके कार्य कलापों के बारे में भी माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये था। आप नहीं सोचेगें तो कल बोर्ड गठित हो जायेगा और कार्य-कलापों में त्रुटि रहेगी तो वह भी नष्ट हो जायेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति के सुपुर्द इस विधेयक को कर दिया जाय जो इस पर विचार करके सदन के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उससे सरकार को ही बल मिलेगा और आगे इससे मदद मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता–

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री भरत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसकी तरफ मैं आपका और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य समस्या की बहुत बड़ी समस्या है। गांव के अंदर डाक्टर जाते हैं तनख्वाह लेते हैं और चले जाते हैं कोई भी डाक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं बैठता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और सारे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर न तो डाक्टर बैठते हैं और न ही कोई स्टाफ बैठता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र दोआवा में जयप्रकाश नगर में जहां क्रान्तिदूत जय प्रकाश नारायण पैदा हुये थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 25 वर्षों से है लेकिन इनके लिये कोई भवन नहीं है डाक्टर के रहने के लिये कोई स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

अस्पतालों में इतनी दुर्व्यवस्था है। अंग्रेजी दवायें इतनी मंहगी हैं। माननीय

स्वास्थ्य मंत्री जी डाक्टर साहब हैं पता नहीं यह आयुर्वेद के डाक्टर हैं या अंग्रेजी डाक्टर हैं–

(हंसी)

आयुर्वेदिक डाक्टर भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं ।

लेकिन इस भारतीय पद्धति की हमारी सरकार उपेक्षा कर रही है, इसके प्रति उपेक्षा बरत रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने केलिये सरकार की तरफ से प्रस्ताव होना चाहिये था । ऐसा प्रस्ताव होना चाहिये था कि यूनानी चिकित्सा को, आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ाने की बात इसमें होनी चाहिये । अध्यक्ष की जगह कन्ट्रोलर नियुक्त हो जायेंगे ऐसा नहीं होना चाहिये । आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । उत्तर प्रदेश के हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० बृजभान यादव–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इनकी नाक के नीचे आयुर्वेदिक निदेशालय है और वहांअफरा-तफरी मची हुई है । 6-6 महीने से डाक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली है । कम्पाउन्डर दवायें दे रहे हैं । यूनानी डाक्टर ऐलोपैथिक दवाये दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिये स्वास्थ्य मंत्री जी को आपकी तरफ से निर्देश दिये जाने चाहिये । जो आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं उसको अविलम्ब रोका जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में तबादलों को लेकर इतनी अफरा-तफरी मची हुई है । कहीं तीन महीने की पोस्टिंग के हुये हैं और ट्रांस्फर कर दिया जाता है । व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर डाक्टरों का विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है । जो डाक्टर किसी विशेष दल से असंबंधित है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । इस तरह की जो नीति है उसको अविलम्ब रोका जाना चाहिये । धन्यवाद ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य राम गोविंद चौधरी, माननीय राम आसरे वर्मा व अन्य सदस्यों के मैंने विचार इस विधेयक पर सुने । माननीय वर्मा जी हमारे प्रदेश भर की नर्सो के नेता हैं, कम्पाउंडरों के नेता हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नर्सो के लगाये हुये इंजेक्शन अगर कहीं मिल गये तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी याद करेंगे ।

डा० दिनेश जौहरी–

अभी हमारे माननीय सदस्य पिछले 6-8 महीनो की बात कर रहे थे । उनको ध्यान नहीं रहा कि यह सरकार बने केवल 45 दिन हुये हैं । राम गोविंद चौधरी जी 6 महीने

और साल भर की बात कर सकते हैं वह हमारी नहीं अपनी बात कर रहे थे, उस समय उनकी सरकार थी । हमारा निश्चित मत है, 28 अगस्त, 1992 डेड लाइन है, उससे पहले हो सकता है कि 2 महीने में ही कर लें या एक महीने में कर लें । यह बहुत बड़ा कैडर है । 51863 वैद्य है । पिछली सरकार ने कोशिश की थी । उन्होंने करीब डेढ़ हजार ऐसे लोगों को पत्र भेज दिये रजिस्टर करने के लिये जो इस दुनियां में नहीं है। वह पत्र लौट कर आ गये। तो फर्जी काम हम नहीं करना चाहते हैं ।

एक सदस्य–

वह राम को प्यारे हो गये ।

डा० दिनेश जौहरी–

राम को प्यारे हो गये कुछ लेकिन कुछ अल्ला को प्यारे हो गये होंगे । मान्यवर, हम चाहते हैं कि यह काम तुरंत शुरू हो । हम ठीक तरीके से यह काम करना चाहते हैं । पिछली सरकार में फर्जी लोगों के पास पत्र पहुंच गये थे, हम वह नहीं चाहते हैं । आप एक महीने के लिये प्रवर समिति को देना चाहते हैं इससे एक महीना वैसे निकल जायेगा । मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें । आज ही इसको पास कर दें और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि जो जन कल्याणकारी काम है उसमें एक महीने की कमी न हो जाय यह मेरा निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं इसलिये वापस नहीं ले रहा हूं कि मंत्री जी बिल्कुल मुकर गये । मैंने एक महीने के लिये प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी। मंत्री जी 92 की बात कह रहे हैं। उस समय तक यह रहेंगे या नहीं, हम इधर रहेंगे या वह उधर रहेंगे, 2 साल का टाइम मांग रहे हैं, इतने समय तक वह रहेंगे भी । मैंने आपसे कहा कि अधिकांश आयुर्वेदिक अस्पातलों में डाक्टर नहीं हैं । कितने ही आयुर्वेदिक अस्पताल ऐसे ही बिना डाक्टर के चल रहे हैं । मंत्री जी कम से कम यह घोषणा अवश्य करते कि जो जिला अस्पताल हैं वहां डाक्टरों की नियुक्ति तुरंत कर देंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं है । मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिये कि ऐसे अस्पतालों में एक हफ्ते के अंदर डाक्टरों की नियुक्ति कर देंगे । यह घोषणा करते कि इन अस्पतालों में निशुल्क दवाओं की व्यवस्था करायेंगे लेकिन यह न करके मंत्री जी पिछली सरकार को दोष दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सरकार होती है चाहे वह पिछली सरकार हो या अगली सरकार । हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया क्या आपकी सरकार उसी ढर्रे पर चलना चाहती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार 12 महीने भी नहीं चलेगी । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

डा० दिनेश चौहरी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है, माननीय राम गोविंद चौधरी के सुझाव उत्तम हैं लेकिन वह एक भ्रम अपने मन से निकाल दें कि यह सरकार जल्दी जाने वाली है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और पूरे 5 साल चलेगी । उसके बाद, फिर आयेगी, फिर आयेगी, फिर आयेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3 खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकितसा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा ।

(2) धारा 2 दिनांक 28 अगस्त, 1990 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी और शेष उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या

2 संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात–

नियत्रक नियुक्त करने की सरकार की शक्ति

"10-क (1) जहां किसी भी कारण से तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटकर धारा 18 में व्यवस्थित गणपूर्ति से कम हो जाय, वहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को अतिक्रमित कर सकती है और दो वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक तक के लिये जो भी पहले हो, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है ।

10 सन् 1939 में नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक की नियुक्ति होने पर—

(क) बोर्ड के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे,

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति, यदि कोई हो, विघटित हो जायेगी,

(ग) निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश को छोड़कर संकाय के समस्त सदस्य (जिसके अंतर्गत चेयरमैन भी है) पदारूढ़ नहीं रहेगें और नियंत्रक उर्पयुक्त निदेशक के साथ संकाय गठित करेंगे,

(घ) बोर्ड, अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य नियंत्रक में निहित होंगे और उनकी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक द्वारा किया जायेगा और अवसर के अनुसार जैसा अपेक्षित हो, नियंत्रक को बोर्ड, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समझा जायेगा ।

(3) नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने और उक्त उपधारा के खण्ड (3), (4), (5), और (6) के अधीन सदस्यों का निर्वाचन कराने के लिये कार्यवाही करेगी ।

(4) जैसे ही धारा 18 के अधीन गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की न्यूनतम संख्या की धारा 8 के अधीन यथास्थिति, चुनाव या नामांकन अधिसूचित कर दिया जाय, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि बोर्ड का पुनर्गठन हो गया है और तदुपरान्त नियंत्रक काम करना बंद कर देगा ।"

निरसन और अपवाद—

3-(1) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1991

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा या उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1990 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1991

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० दिनेश जौहरी–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6.8.1991 को नियम 51 के अंतर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुयी, जिसमें पहली श्री नरेश अग्रवाल और श्री सुरेन्द्र नाथ की प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की पुस्तकें तथा सस्ते दरों पर कापियां न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की प्रदेश के बुनकरों को ऋण प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं ।

नियम 52के अंतर्गत गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में नीति बनाये जाने की मांग

श्री अखिलेश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैंने नियम-52 के अंतर्गत गन्ने के

मूल्य के बकाये के संबंध में सूचना दी थी, उसके बारे में क्या निर्णय हुआ ? इस पर चर्चा हेतु तिथि मान्यवर, नियत कर दें । इस पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था थी कि मैं देखकर इसमें तिथि नियत कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बारे में अध्यक्ष जी से बात कीजियेगा ।

प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मद संख्या 25 ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे तो 12 तारीख के लिये रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे 12 तारीख के लिये स्थगित करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में भीषण सूखा पड़ा हुआ है । इस सूखे के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है और यह सरकार सूखे का सामना करने में बिल्कुल असफल हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस चर्चा को स्थगित कर दिया गया है यह 12 तारीख को ली जायेगी ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अगस्त, 1991

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

तारांकित प्रश्न सं०-12 के उत्तर से संलग्न सूची

दंगों में प्रभावित लोगों को वितरित आर्थिक सहायता का विवरण

क्रमांक	प्रभावित व्यक्तियों के नाम व पता	वितरित की गयी आर्थिक सहायता रुपयों में
1.	श्रीमती सद्दो बेबा, लाल मोहन मृतक की पत्नी ग्राम चाकपुरवा तहसील मुझनपुर, इलाहाबाद	1,00,000 00
2.	श्रीमती आंगना खातून बेवा अब्दुल महाव मृतक की माता नि० खेपा, इलाहाबाद	1,00,000 00
3.	श्री रफीका बेवा अब्दुल हबीव (मृतक की पत्नी) नि० खेपा, इलाहाबाद	1,00,000 00
4.	श्रीमती खलीकन निशा बेवा फौजदार मृतक की पत्नी नि० खालिया, तहसील चाल, इलाहाबाद	1,00,000 00
5.	अब्दुलबारी पुत्र अब्दुल सकूल नि० खेपा	2,000 00
6.	श्री नसीम पुत्र बहाव नि० खेपा	2,000 00
7.	श्री गयासुद्दीन पुत्र जमील नि० घोसिया	2,000 00
8.	श्री समसाद पुत्र फकरूद्दीन नि० किशनपुर, अम्बारी	2,000 00
9	रईस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद नि० पुरखास	2,000 00
10.	गरीबउद्दीन पुत्र खालिकहुसैन नि० कोसमीइनाम हाल मुकीम फकीराबाद	2,000 00
11.	केशव पुत्र दक्खिनी नि० खरसेन का पुरा मजरा बंसूवाह	2,000 00
12.	मोहम्मद सलीम पुत्र नवाब नि० फकीराबाद	1,000 00
13.	असलम पुत्र पीरमोहम्मद नि० पुरुखास	2,000 00
14.	मोहम्मदीअली पुत्र ननकी नि० पिपरी मजरा पनासा	1,000 00
15.	माफूज अहमद पुत्र असदअली नि० घमेलिया	1,000 00
16.	अबरार अहमद पुत्र गुलजार नि० सराय अकिल	2,000 00
17.	मुर्तजजा पुत्र इसहाक नि० बेरुई पो० करारी, इलाहाबाद	2,000 00
18.	जमीलउद्दीन पुत्र ओमनउद्दीन करारी, इलाहाबाद	1,000 00

क्रमांक	प्रभावित व्यक्तियों के नाम व पता	वितरित की गयी आर्थिक सहायता रूपयों में
19.	शरीफ अहमद पुत्र वसीअली नि० वैरागीपुर	2,000–00
20.	मो० अली पुत्र नासीर अली नि० घोसिया	2,000–00
21.	बाबूमियां पुत्र मोहम्मद अली नि० फकीराबाद	1,000–00
22.	इरशाद अली पुत्र मोहम्मद अली नि० घोसिया	2,000–00
23.	वकील पुत्र सुहैल अहमद नि० पुरुखास	1,000–00
24.	महफूज अहमद पुत्र जुम्मन नि० फकीराबाद	1500–00
25.	कब्बीर अहमद पुत्र पीरबक्स नि० शोपा	2,000–00
26.	गंलाम बिजलानी पुत्र शरीफ अहमद नि० सराय अकिल	2,000–00
27.	अब्दुलबारी पुत्र अब्दुल शकूर नि० खोपा	2,000–00
28.	रामेश्वर सिंह पुत्र नारायन नि० सराय अकिल	1,000–00
29.	अरविन्द सिंह पुत्र हरिहरनाथ नि० अकिल	1,000–00
30.	लालबहादुर सिंह पुत्र सुरेश सिंह नि० सराय अकिल	1,000–00
31.	विजय कुमार पुत्र लालू राम नि० फरीदाबाद	1,000–00
32.	महीरूद्दीन पुत्र अमीरूद्दीन नि० सरायअकिल	1,000–00
33.	सादिक अली पुत्र मो० हुसैन नि० ,,	1,000–00
34.	इम्तियाज अहमद पुत्र छेदी नि० ,,	1,000–00
35.	किसमत अली पुत्र बहीदखुली नि० ,,	1,000–00
36.	श्रीमती साहिदा बेगम पत्नी लिसमत अली निवासी सराय अकिल	1,000–00
37.	उमेश चन्द्र केसरवानी पुत्र मैकू निवासी सराय अकिल	1,000–00
38.	मो० अली पुत्र अब्दुल नि० सराय अकिल	1,000–00
39.	मो० असलम पुत्र पीरमोहम्मद नि० पुरुखास	1,000–00
	कुल योग	4,51,500

चार लाख इक्यावन हजार पांच सौ रुपया मात्र

पीं०एस०यू०पी० (आर०आर०)–2 विधान सभा–19-9-91-813 (फोटो सैटर) ।